खण्ड-436, अंक-3
सोमवार, 1 कार्तिक, शक संवत् 1922
(23 अक्टूबर, 2000 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2000)

खण्ड 436 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

सोमवार, दिनांक 23 अक्टूबर, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

नियम–311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाये जाने का प्रयास

(विपक्ष के अनेक सदस्य अपने-अपने आसन पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

इस प्रदेश में सुनियोजित तरीके से दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है ।

(इसी मध्य श्री ज्वाला प्रसाद यादव, श्री सुधाकर सिंह, श्री उदय राज यादव तथा श्री जगदीश नारायण राय आदि विपक्ष के कई सदस्य वेल में आ गए)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने आसन पर जाएं । आप लोग जो विषय उठा रहे हैं इसकी सूचना हमारे पास है जैसा कि सहमति हुई थी कि नियम–311 की सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित करते हुए इन सूचनाओं पर आप को सुन लिया जाएगा । मेरा अनुरोध है कि कार्यवाही को चलने दें । तीन-चार सूचनाओं को छोड़कर सभी सूचनाएं स्वीकृत भी हो गई हैं ।

(वेल में उपस्थित सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गए)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

6 दलितों पर अत्याचार हो रहा है ।

(घोर व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग थोड़ा सा सहयोग कर देंगे तो प्रश्नकाल जल्दी समाप्त हो जाएगा क्योंकि 10-12 प्रश्न लगे हैं उनका जल्दी से निपटारा हो जाएगा तो शून्य प्रहर में और समय मिल जाएगा । आप लोग कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(इसी मध्य बसपा के श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री ज्वाला प्रसाद यादव, श्री जगदीश नरायण राय, श्री श्रीराम यादव, श्री मुख्तार अंसारी, श्री सुधाकर सिंह व कुछ अन्य विपक्षी सदस्य वेल में आ गए) ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

माननीय अध्यक्ष जी एस०पी० अम्बेडकर नगर हमारी हत्या कराना चाहता है ।

(सदन के फ्लोर पर आये विपक्षी सदस्यगण नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

(सदन में नारे लगाने से व्यवधान जारी रहा)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । सदन की कार्यवाही चलने दे । अपनी सूचना के आने पर आप अपने-अपने विचार रखियेगा ।

श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

मान्यवर, मेरी सूचना नहीं सुनी गई ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं कुछ नहीं लिखा जायेगा और न ही माननीय सदस्यों के नाम लिखे जायेंगे ।

(घोर व्यवधान जारी रहा)

मैं सदन की कार्यवाही 11.30 तक स्थगित करता हूं ।

(11 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित हुयी । 11 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी)

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, कौशाम्बी में पाल समाज के 6 लोगों की हत्या कर दी गयी और एक को गायब कर दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री मौर्य जी, आपकी सूचना है । मैं नियम–56 में इसे पहले सुन लूंगा । सूचना स्वीकार हो गयी है । सदन जब चलेगा तभी तो सुनूंगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, ठीक है ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में यूरिया, डी०ए०पी० एवं अन्य खादों पर सब्सिडी के संबंध में जानकारी

**1–श्री राम ललित चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में बढ़ती आबादी को देखते हुए खाद्यान्न समस्या के निदान हेतु क्या सरकार ने कृषि उपज को बढ़ाने के लिए यूरिया, डी०ए०पी० तथा अन्य खादों पर सब्सिडी देने की कोई नीति बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

यूरिया, डी०ए०पी० तथा अन्य खादों पर सब्सिडी देने की कोई नीति प्रदेश सरकार ने नहीं बनाई है ।

इस प्रकरण पर भारत सरकार के स्तर पर समय-समय पर निर्णय लिया जाता है ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, प्रदेश की आबादी जिस स्पीड से बढ़ रही है उस स्पीड से खाद्यान्न की उपज नहीं बढ़ रही है और जमीन तो सीमित है । उसमें उपज बढ़ाने के लिए जब तक खाद पर कुछ सब्सिडी नहीं दी जायेगी या खाद के दाम कम नहीं किये जायेंगे तब तक उपज बढ़ाने का सवाल नहीं है । इसलिए मैं प्रश्न के परिपेक्ष्य में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई ऐसी नीति बनायी है जिससे यूरिया और अन्य खादों पर सब्सिडी दी जायेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, उत्तर बहुत स्पष्ट है । उर्वरकों पर सब्सिडी उ० प्र० या कोई अन्य प्रदेश की सरकार नहीं दे रही है । भारत सरकार नीतिगत निर्णय लेती है । माननीय सदस्य ने कहा कि आबादी बढ़ रही है और भूमि सीमित है । अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक सब्सिडी दी जाय और मूल्य घटाये जायं, ऐसा माननीय सदस्य ने कहा है । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि उत्पादन का कहीं से भी सब्सिडी के साथ तालमेल नहीं है । उत्पादन बढ़ता है सही तकनीक से और सही निवेश से । सही निवेश सही समय पर उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया गया है और उनकी सफलता भी सामने आयी है । माननीय सदस्य अच्छी तरह से परिचित हैं कि प्रदेश में अब शार्टेज नहीं है बल्कि खाद्यान्न एक्सिस में है । किसी भी वस्तु को आप देख लें, समाचार-पत्रों में भी आया है । जब किसी चीज की शार्टेज होती है । तो उसके दाम बढ़ते हैं और जब कोई चीज एक्सिज होती है तो उसके दाम घटते हैं । खाद्यान्न के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं । समस्या यह हो गयी है कि किसान को किस तरह से लाभान्वित करें उचित मूल्य दिलाकर सब्सिडी देकर और दाम घटाकर किसान को लाभान्वित नहीं कर सकते इसलिए सब्सिडी देने का और निवेश देने की कोई नीति प्रदेश सरकार के सामने नहीं है बल्कि भारत सरकार समय-समय पर निर्णय करती रहती है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय श्री दिवाकर विक्रम सिंह जी कृषि मंत्री के साथ ही साथ एक कृषक भी हैं, अच्छे कृषक हैं । जो जवाब उन्होंने दिया है वह निराशापूर्ण जवाब है । उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ रहा है । उत्पादन और जनसंख्या दोनों के अनुपात को आप लगा लीजिये कि कृषि का उत्पादन किस अनुपात से बढ़ रहा है और जनसंख्या का किस हिसाब से बढ़ रहा है । अमेरिका से लेकर जितने यूरोपीय देश हैं अपने यहां किसानों को अनुदान देते हैं । भारत में भी जहां किसानों ने इतनी बड़ी हरित क्रांति की, जहां कृषकों को छूट देनी चाहिए । आपने कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है उत्पादन बढ़ गया है । आपने कहा उत्पादन बढ़ गया है और यदि उसका भण्डारण हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि लगातार बढ़ता जायेगा । मैं मांग करता हूं कि आज गेहूं 4 रुपये, 3.50 रुपये किलो खुले बाजार में बिक रहा है वहीं यूरिया खाद 8.50 रुपये किलो बिक रही है । यही नहीं धान भी लगभग तैयार हो रहा है । मैं आपसे यह चाहूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे पा रही है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार को संस्तुति करेगी कि इस उत्पादों पर अनुदान अवश्य दे । जैसा पंजाब में अभी दिया गया है वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न थोड़ा विषय से हटकर है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

काफी लम्बा प्रश्न है लेकिन मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा । इसमें खाद्य विभाग, कृषि विभाग को शामिल करके प्रश्न किया है । सब्सिडी देकर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, यह मूल प्रश्न है । मैंने बताया कि सब्सिडी देकर उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता है । जहां तक उत्पादन का प्रश्न है कि आबादी कैसे

बढ़ रही है और उत्पादन कैसे बढ़ रहा है । श्रीमन् जो थोड़े से आंकड़े मुझे विभाग द्वारा मिल पाये हैं उसके अनुसार बताना चाहता हूं कि 98-99 में खाद्यान्न का उत्पादन कुल टोटल इस प्रदेश का 404.31 लाख मीट्रिक टन हुआ था । मान्यवर, 1999-2000 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन इस प्रदेश में 451.78 लाख मीट्रिक टन हुआ है । कुल आवश्यकता जो कृषि विभाग के पास आंकड़े उपलब्ध हैं उसके आधार पर बता रहा हूं । खाद्य विभाग के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं है । कुल आवश्यकता प्रदेश की लगभग 280 लाख मीट्रिक टन की है । इस आवश्यकता के विरुद्ध 491.78 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न पैदावार हुई । कहां खाद्यान्न की कमी है जिस पर सब्सिडी की बात करें । एक चीज और मान्यवर, कुंवर साहब ने पूछी मूल्य दिलाने की बात । मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार तय करता है । गेहूं में भी तय हुआ था और धान में भी तय हुआ है । एक प्रश्न यह कहा अभी कि आज गेहूं का मूल्य बाजार में 4 रुपये और 3.50 पैसे किलो है लेकिन मान्यवर, कुंवर साहब यह नहीं बता रहे हैं या जानबूझकर बताना नहीं चाह रहे हैं कि यह पहला वर्ष है श्रीमन् जब कृषकों के घर से गेहूं निकला है मड़ाई हुई है तो उसको 580 रुपये प्रति क्विंटल मिला है आज गेहूं का दाम 400 रुपये क्विंटन है । (व्यवधान) सुन लीजिये सुनने की हिम्मत रखिये इस सदन में पिछले वर्षों की प्रोसीडिंग उठाकर देख लें । जब जब गेहूं का मूल्य मड़ाई के बाद नवम्बर, दिसम्बर में बढ़े हैं । उस समय यह भावना यहां सदन में माननीय सदस्यों के द्वारा व्यक्त की गई कि जब घर से गेहूं निकल रहा था उसका मूल्य कम था बनिया के घर पहुंच गया तो दाम अधिक हो गया । आज हम कह रहे हैं कि किसान के घर से निकल रहा था तो मूल्य अधिक था और अब बाजार में जा रहा है तो कम है ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी अभी हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है । मैं उसी से संबंधित दो प्रश्न आपके माध्यम से करना चाहता हूं । पहला प्रश्न है, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमारे प्रदेश में आवश्यकता से ज्यादा अन्न का उत्पादन शुरू हो गया है इसलिए खाद्य पर सब्सिडी देना उर्वरक पर सब्सिडी देना उचित नहीं होगा । श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ज्यादा उत्पादन हो जाएगा तो क्या यह इतना सस्ता बिकवायेंगे, जो आज स्थिति हो रही है । धान तीन रुपये, गेहूं चार रुपये, आलू एक डेढ़ रुपये, लहसुन एक रुपया किलो तो क्या यह किसान को इस हालत में पहुंचा देंगे कि वह न तो अपने बच्चों को पढ़ा सके और न अपने बच्चों की फीस भर सके और न ही कपड़ा बनवा सके । क्या कृषि मंत्री जी कृषि उत्पादन को देश के बाहर या प्रदेश के बाहर भेजकर निर्यात में सब्सिडी देकर किसान को लागत मूल्य या उससे अधिक लाभकारी मूल्य दिलाने का कार्य करेंगे ? दूसरा मेरा प्रश्न है श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 580/–रुपये गेहूं बिका फसल पर और आपने खरीदा, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 580/–रुपये में किसान का गेहूं जो थोड़ा बहुत खरीदा गया क्या उस सबका भुगतान हो गया है ? अगर नहीं हुआ है तो क्यों ? अगर आपका उत्तर आ जाएगा कि भुगतान हो गया, तो मैं फिर पूछूंगा । सहारनपुर, पीलीभीत, औरैया, तेजपुर, सोसायटी, विधूना, अकूबपुर सोसायटी है क्या यहां गेहूं खरीदा गया ?

श्री अध्यक्ष–

बाद वाला प्रश्न मूल प्रश्न से दूर हटकर है ।

श्री धनीराम वर्मा–

580/–रुपये कहा है तो क्या भुगतान हो गया है यह बता दें ।

है कि कम से कम इस घटना की डी० आई० जी० स्तर के अधिकारी से जांच होनी चाहिए तथा परिवार में जो नाबालिग बच्चे बचे हैं उनकी परवरिश के लिए कम से कम 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए ताकि उनकी परिवरिश हो सके तथा इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए। यह अविलम्बनीय लोक महतव का प्रश्न है मैं इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं कि एक ही परिवार के सात लोगों के साथ यह घटना हुई। 9 अक्टूबर को 10.30 बजे रेलवे कन्ट्रोल से पुलिस अधीक्षक को सूचना दी गयी कि शिराथू और अप्सरा के बीच रेलवे लाइन पर लाशें पाई गई है। शिराथू और जी०आर०पी० इलाहाबाद की फोर्स मौके पर पहुंची और सात व्यक्तियों के शव पाये गये इनमें एक पुरुष जिसकी उम्र 45 वर्ष, एक महिला 40 वर्ष, पांच बच्चे जिनमें चार लड़कियां जिनकी उम्र क्रमशः 14 साल, 6 साल, 4 साल और दो तथा एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 8 वर्ष थी। तत्काल जो भी कार्यवाही संभव थी पंचनामा वगैरह करके पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया गया। चूंकि सामान्य रूप से लाशें रेलवे ट्रैक पर मिलीं हैं इसलिए यह माना गया कि रेल दुर्घटना में मृत्यु हुई होगी। अभी सदस्य ने आशंका व्यक्त की है कि हत्या के बाद शव डाल दिये गये और इसके कारण भी बताये गये। स्थानीय पुलिस को इस बात के निर्देश दिये गये हैं कि और जो भी संभावनायें हैं उनको भी ध्यान में रखा जाय। रेल मंत्रालय से आग्रह किया गया है कि जो भी धनराशि का नियम हो मुआवजा उपलब्ध कराया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

श्रीराम पाल जी ने कहा है कि डी०आई०जी स्तर से जांच कराई जाय।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

आई०जी० स्तर से जांच कराई जाय।

श्री अध्यक्ष–

हां हां आई०जी० स्तर से ही जांच करा ली जाये।

श्री हुकुम सिंह–

यह हो सकता है कि आई०जी० के सुपरविजन में यह जांच कराई जाय।

श्री श्रीराम पाल–

दूसरे भाई को गायब कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

मैं जब इलाहाबाद में था तब मैंने भी इस घटना की निन्दा की थी।

श्री हुकुम सिंह–

पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता लग जायेगा कि क्या हुआ था क्योंकि अगर रेल दुर्घटना होगी तो शव क्षत-विक्षत होंगे और हत्या होगी तो उसका भी पता लग जायगा। हम आई०जी० के सुपरविजन में जांच करा लेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है इसकी तहकीकात गहराई से होनी चाहिए । आई० जी० जांच करेगा डी०आई०जी० करेगा यह कोई बात नहीं हुई । डी०आई०जी० जो बात नकार देगा आई०जी० उसे स्वीकार कर लेगा । अध्यक्ष महोदय जी निवेदन करना चाहता हूं कि गड़रिया समाज वैसे ही बहुत सीधा समाज होता है । यह पूरे परिवार की हत्या कोई साजिश है जिससे कि पूरे परिवार का सफाया कर सारी जायदाद हड़प ली जाय । मान्यवर, राजाराम पाल, उसकी पत्नी कलावती उसकी लड़की मंजू, कौशल्या, पुत्र मान सिंह, आदि सात लोगों की हत्या हुई । जो तीन बच गये, माया देवी ससुराल में थी, धरमशिला और ज्ञानचन्द्र सोये हुए थे, इत्तेफाक से उनको जगाया नहीं गया और जो जगे हुए थे, उन्हें पकड़कर ले गये । उनकी जहाँ पर हत्या होती है 20-22 कि०मी० दूर है सिराथू रेलवे स्टेशन के मध्य और इतनी दूरी पैदल भी तय नहीं की जा सकती । जब उनकी खोजबीन होती है तो उनकी डेड वाडी मिलती है । उनकी डेड बाडी रेलवे स्टेशन पर डाली गई लेकिन रेलवे से उनको कोई चोट नहीं है । केवल उनके सिर पर चोट है । सारे लोगों के सिर पर किसी भारी असलहे से चोट पहुँचायी गई है । सुनियोजित षडयंत्र के तहत उनको वहाँ फेंका गया और आत्महत्या दर्शाया गया । उनको वहाँ पर व्यवस्थित ढंग से लिटा दिया गया । यदि कोई आत्महत्या करता तो इतने व्यवस्थित ढंग से लेटता नहीं । उनकी हत्या करके वहाँ पर लिटा दिया गया । इस बात को साबित करने का प्रयास किया गया कि आत्महत्या की गई है । चूँकि इस मामले को पुलिस के अधिकारी झुठलाने पर लगे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में किसी पुलिस अधिकारी से इसकी जाँच कराने का कोई मतलब नहीं होता है, मैं चाहूँगा कि इसमें कम से कम कमिश्नर स्तर के अधिकारी या राजस्व परिषद् के किसी सदस्य से इसकी जाँच करायी जाय । दूसरा मृतक के परिवार में एक 15 साल का लड़का बचा हुआ है, उसकी भी हत्या हो सकती है । इसके अलावा उसका एक भाई था, हत्या के बाद उसका अपहरण कर दिया गया और आज तक पुलिस पता नहीं कर पायी, हो सकता है उसकी भी हत्या कर दी गई हो ।

श्री अध्यक्ष–

यह बात तो जाँच में आयेगी ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

इसलिये मेरा अनुरोध है कि मृतक आश्रित को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय । मृतक के भाई श्री भइया लाल का जो अपहरण कर लिया गया है, उसका तत्काल पता लगाया जाय । तीसरा इस प्रकरण की जाँच कम से कम कमिश्नर स्तर के अधिकारी या राजस्व परिषद् के सदस्य से करायी जाय । मृतक के परिवार में बचे ज्ञान चन्द्र और धरमशिला की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्य जी, पहले तो आई०जी० की देखरेख में यह जाँच हो रही है उसके बाद अगर कोई ऐसी बात आई तो आप कह सकते हैं इसी के साथ मैं इसका निस्तारण करता हूँ । मुआवजे के बारे में मंत्री जी ने कह दिया है, जितना होगा दिलवा दिया जायेगा । मंत्री जी उसका एक भाई लापता है उसका पता लगवाने के लिये भी देख लें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, उस परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा माननीय मंत्री जी करें । परिवार की सुरक्षा की भी घोषणा की जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

सुरक्षा के बारे में हम सुनिश्चित करेंगे कि क्या किया जाय । मुआवजे के बारे में मैं पहले कह चुका हूँ ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मुआवजे के बारे में नहीं कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मुआवजे के बारे में कह चुके हैं आप थे नहीं शायद ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने कहा था और थोड़ा सा फिर आपकी अनुमति से कहना चाहता हूँ । स्वामी जी आप बैठ जायं । आपके खड़े रहते तो मैं बोल नहीं पाऊँगा । मान्यवर, इसमें तीन बिन्दु विचारणीय हैं जैसा आपने भी कहा । आत्महत्या हत्यायें, रेलवे दुर्घटना यह तीन चीजें हैं । यह तीनों बातें ऐसी हैं जो जाँच के बाद जिसके लिये इन्वेस्टीगेशन शब्द है उसके बाद ही इसकी पुष्टि हो सकती है कि किस तरह का केस है । सारा मामला इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से किन परिस्थितियों में यह घटना हुई है । मैंने स्वयं कहा था कि रेलवे मंत्रालय को प्रदेश सरकार लिखेगी और यह भी लिखेगी कि पहले तो जो उनके नियम और प्राविधान हैं उसके अनुसार अनुग्रह धनराशि दे दी जाय ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय मंत्री जी का यह कहना कि हम रेलवे मंत्रालय को लिखेंगे यह इस बात को साबित करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस घटना को मान लिया है कि यह रेल दुर्घटना है इसलिये हम आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि यह सरकार इस घटना पर लीपापोती करना चाहती है । आपके समक्ष स्पष्ट निर्देश हो जाने चाहिए । परिवार के सात–सात लोगों की हत्या हुई है केवल एक नाबालिग लड़का 5 साल का और एक नाबालिग लड़की 9 साल की बची है । उनके सामने रोटी का खतरा पैदा हो गया है । उनकी सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया है । सरकार इस बात को आश्वस्त करे कि उनके भरण पोषण के लिये 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय । उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जाय और इसी के साथ-साथ पूरे मामले की जाँच कराकर 15 दिन के अन्दर इसका पर्दाफाश किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

मौर्या जी, इस दृष्टि से भी देखिये । हम सब यहां पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं । इसमें तीन बिन्दु हैं यह हत्या का मामला है जैसा आपने कहा, आत्महत्या भी हो सकता है और रेलवे दुर्घटना भी हो सकती है । पुलिस इसको देख रही है । यह रेलवे दुर्घटना नहीं है, यह आपका कथन है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह कैसा मामला है ? यदि रेलवे दुर्घटना का है तो रेलवे को उसका मुआवजा देना पड़ेगा ! लेकिन जैसा आपने कहा कि यह हत्या है या आत्महत्या है । आत्महत्या में तो कोई मुआवजा मिलता नहीं है । हत्या हुई है तो मुआवजे की बात होगी । जैसा आपने कहा आपकी अंतिम बात बहुत सही है कि 15 दिन के अन्दर इसकी जाँच हो जाय । यह आई०जी० वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनके अन्डर में यह जाँच होगी तब ही साबित होगा कि क्या मामला है ?

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि तीन चीजों में से कुछ भी हो सकता है । जाँच के लिये इसमें कह दें । सुरक्षा के लिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा तो वह केवल कही ही न जाय वहाँ पर नजर भी आये । परिवार का एक सदस्य गायब है पन्द्रह दिन के अन्दर उसका भी पता लगाया जाय कि वह जिन्दा है कि नहीं कि उसकी भी हत्या हो गई है या उसने आत्म हत्या कर ली है । इसका भी पता लगायें कि क्या हुआ है ?

श्री अध्यक्ष–

पन्द्रह दिन के अन्दर जाँच करवा लेंगे मौर्य जी की तरफ से भी यही सुझाव आया था । वह मैंने माननीय मंत्री जी से कह दिया है । माननीय मंत्री जी उसका एक भाई गायब है कृपया उसका पता लगाने के लिये समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 79वाँ प्रतिवेदन

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 79वाँ प्रतिवेदन जो आवास, नगर विकास सहकारिता तथा राज्य सम्पत्ति विभागों (वर्ष 1982 से 1999) के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–5 में कुछ नहीं है ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन का कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 अक्टूबर, 2000 की बैटक में दिनांक 23 एवं 24 अक्टूबर, 2000 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

अक्टूबर, 2000

23 सोमवार	1–उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार एवं उसका पारण ।
	2–उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् विधेयक, 2000 पर विचार एवं उसका पारण ।
	3–उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण ।
	4–भारतीय वन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण ।

उपर्युक्त विधेयकों पर विचार एवं पारण की मदें कार्य-स्थगन प्रस्ताव की मद के तुरन्त बाद रखी जायं ।

5–वित्तीय वर्ष 2000-2001 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार और मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण (आधा घण्टा) ।

6—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं आधे घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत निम्नलिखित चर्चाधीन प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय की हुई मृत्यु की जांच/परीक्षण हेतु एक आयोग गठित किया जाय जो अपना प्रतिवेदन छः माह में प्रस्तुत करे ।"

7–नियम 103 के अन्तर्गत श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम ललित चौधरी, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री बी० आर० वर्मा, श्री लाल जी वर्मा, श्री श्रीराम पाल, श्री जगदीश नारायण राय तथा श्री कौकब हमीद, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री समर पाल सिंह, श्री संजय गर्ग, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री राज पाल सिंह, श्री परवेज हलीम, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री विजेन्द्र आर्य, श्री बाबू लाल, श्री स्वामी ओमवेश, श्री बनारसी दास चांदना, श्री प्रदीप कुमार, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा :–

"यह सदन उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास हेतु प्रदेश को चार भागों (पूर्वान्चल, पश्चिमांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड) में बांटने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है ।"

24 मंगलवार

1–विधायी कार्य ।

2–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित एक घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत निम्नलिखित चर्चाधीन प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा :–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पोलीथीन बैग्स के कारण जन-स्वास्थ्य पर मंडराते खतरे एवं पशुओं द्वारा उसे खा लिये जाने के कारण उत्पन्न लाइलाज बीमारी को देखते हुए प्रदेश में इसके उत्पादन और प्रयोग पर तत्काल पाबंदी लगायी जाय ।"

3–"पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना किये जाने" के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

4–"प्रदेश में शीत गृह मालिकों द्वारा आलू उत्पादक किसानों से आलू भण्डारण प्रभार लिये जाने से उत्पन्न स्थिति" के संबंध में श्री शिव सिंह चक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा ।

5–"प्रदेश के मध्यांचल के पूर्ण विकास हेतु 'मध्यांचल विकास निधि' की स्थापना किये जाने" के संबंध में डा० कौशल किशोर, डा० अशोक बाजपेयी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा ।

6—"प्रदेश में नकली दवाओं के तेजी से पनपते व्यापार/उद्योग से जन-जीवन पर हो रहे हानिकारक प्रभाव से उत्पन्न स्थिति" के संबंध में श्री राम कुमार एडवोकेट, श्री राजेन्द्र यादव, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री अजय कुमार पोइया, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

7–"प्रदेश में अनवरत रूप से बढ़ती महंगाई को रोके जाने हेतु प्रभावी नीति बनाये जाने" के संबंध में श्री संजय गर्ग, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

8–"प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था" के संबंध में श्री संजय गर्ग, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री प्रदीप कुमार, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गई है, से सहमत है ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, से सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

श्रीमन्, इस सत्र की 20 तारीख के उपवेशन में नियम 301 के अन्तर्गत.....

श्री अध्यक्ष–

दो मिनट प्रतीक्षा कर लें मद संख्या–10 तक ले लें फिर आप अपनी बात कह लें ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र 1998 के पहले बुधवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–19 के संबंध में शोधन वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

श्रीमन्, श्री उबैदुर्रहमान, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या–166 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना दिनांक 11 जनवरी, 2000 के संबंध में निम्नलिखित शोधन वक्तव्य दिया :–

उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1998 के पहले बुधवार दिनांक 25 मार्च, 1998 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–19

प्रश्न	पूर्व में दिया गया उत्तर	शोधित उत्तर
19–विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के पहले बुधवार का अता० प्रश्न संख्या–67 के उत्तर के संबंध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जांच पूर्ण करा ली गयी है ? यदि हां, तो जांच कार्यवाही से अवगत कराया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांचोपरान्त दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	जी हां । जांच एवं स्थलीय सत्यापन में यह पाया गया है कि किसी अपात्र को लाभार्थी के रूप में चयनित नहीं किया गया है । वर्ष 1996-97 में चयनित एक आवास का निर्माण नहीं हुआ है तथा कुछ आवासों में शौचालयों के निर्माण का कार्य कराया जाना शेष है । उक्त आवासों को एक माह में पूर्णरूपेण पूरा कर लिये जाने के आदेश जिलाधिकारी, लखनऊ को दे दिये गये हैं । अपूर्ण आवास के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।	अम्बेडकर ग्राम भौली, वि० खण्ड बक्शी का तालाब, जनपद लखनऊ में इन्दिरा आवासों की जाचं करायी गयी जिसमें वर्ष 1996-97 में 55 आवंटित आवासों में दो लाभार्थी अपात्र पाये गये व वर्ष 1997-98 में चयनित 25 लाभार्थियों में भी 04 अपात्र लाभार्थी पाये गये । दो लाभार्थी ने अब तक आवास एवं शौचालय तथा 38 लाभार्थियों ने शौचालय निर्माण नहीं कराया है । अपात्र लाभार्थियों से धन की वसूली हेतु आर० सी० जारी की गयी जिसे जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा इस टिप्पणी के साथ वापस कर दी गयी कि वसूली हेतु क्रमांक 1 से 65 तक सभी लाभार्थी महिलाएं हैं जिनके नाम चल/अचल सम्पत्ति नहीं है। अतः वसूली किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रकरण में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की स्थिति निम्नवत् है :–

1–श्री गंगा राम कश्यप, ग्राम पंचायत अधिकारी को जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेश संख्या–5585/पं०/98-99, दिनांक 31-12-98 के द्वारा इस दण्ड के साथ बहाल किया गया कि श्री कश्यप को जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कोई वेतन देय नहीं होगा तथा एक वेतन वृद्धि स्थायी तौर पर रोकी गयी ।

2–श्री ओम प्रकाश मिश्र, ग्राम पंचायत अधिकारी को भविष्य के लिए सचेत करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ के आदेश संख्या–6036/पं०/98-99, दिनांक 28-01-99 के द्वारा विभागीय कार्यवाही समाप्त की गयी ।

3–श्री एस० बी० सिंह, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी को शासनादेश संख्या–902/38-5-98-530/95, दिनांक 31-03-98 द्वारा निलम्बित किया गया तथा विभागीय कार्यवाही में श्री सिंह तत्काल खण्ड विकास अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध करते हुए निन्दा प्रविष्टि का दण्ड दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

4–उक्त प्रकरण में गलत सूचना दिये जाने हेतु दोषी पाये गये डा० एस० एन० मिश्रा, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, लखनऊ को पशुधन एवं मत्स्य विभाग द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि आदेश सं०–2456/12-प-1-2000, दिनांक 26 अगस्त, 2000 द्वारा दे दी गयी है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के द्वितीय सोमवार को उत्तरित अता० प्रश्न संख्या–89 के संबंध में शोधन वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा द्वारा "उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश" के नियम–166 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना दिनांक 23 मार्च, 2000 के सम्बन्ध में निम्नलिखित शोधन वक्तव्य दिया :–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के द्वितीय सोमवार दिनांक 8 मार्च, 1999 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–89

मूल प्रश्न	दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर
89–क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, गृह को सम्बोधित वरिष्ठ पत्रकार एवं प्राध्यापक (सेवा-निवृत्त) अध्यक्ष वीरांगना प्रेस क्लब, झांसी एवं मण्डलीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार एवं शोषण निवारण समिति, झांसी के प्रार्थना-पत्र दिनांक 1-5-98 को कोई आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?	प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र पर सचिव, गृह एवं गोपन द्वारा 2-5-98 में पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र को अब तक की गयी कार्यवाही एवं आख्या उपलब्ध कराने हेतु आदेश दिये गये हैं । उपरोक्त के संबंध में क्षेत्राधिकारी, सदर, झांसी से जांच करायी गयी । जांच से यह विदित हुआ कि उभयपक्ष के मध्य आवासीय प्लाट को लेकर जूनियर डिवीजन सिविल जज झांसी के न्यायालय में वाद संख्या 479/97 विचाराधीन है । इसके अतिरिक्त 18-12-97 को प्राचार्य, विपिन बिहारी महाविद्यालय, झांसी के कक्ष में श्री एम० के० द्विवेदी पर हुए हमले के संबंध में पंजीकृत मुकदमा अ० सं० 668/97 में विवेचना के बाद आरोप-पत्र सं० 202 दिनांक 22-12-1997 न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।	प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र पर सचिव, गृह एवं गोपन द्वारा 2-5-98 में पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र को अब तक की गयी कार्यवाही एवं आख्या उपलब्ध कराने हेतु आदेश दिये गये हैं । उपरोक्त के संबंध में क्षेत्राधिकारी, सदर, झांसी से जांच करायी गयी । जांच से यह विदित हुआ कि उभयपक्ष के मध्य आवासीय प्लाट को लेकर जूनियर डिवीजन सिविल जज झांसी के न्यायालय में वाद संख्या 479/97 विचाराधीन है । इसके अतिरिक्त दिनांक 18-12-97 को प्राचार्य, विपिन बिहारी महाविद्यालय, झांसी के कक्ष में श्री एम० के० द्विवेदी द्वारा डा० एस० पी० सहगल पर किये गये हमले के संबंध में पंजीकृत मुकदमा अ० सं० 668/97 में विवेचना के बाद आरोप-पत्र सं० 202 दिनांक 20-12-1997 न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

मूल प्रश्न	दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर
	प्रार्थी की सुरक्षा हेतु स्थानीय थाना पुलिस को सतर्क दृष्टि रखने एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये गये हैं।	प्रार्थी की सुरक्षा हेतु स्थानीय थाना पुलिस को सतर्क दृष्टि रखने एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये गये हैं।

उपर्युक्त संशोधित उत्तर में ''द्वारा डा० एस० पी० सहगल पर किये गये'' वाक्यांश, जो उच्च स्तर पर संशोधित उत्तरालेख्य में टंकित करते समय त्रुटिवश छूट गया था, जोड़ दिया गया है। इस त्रुटि के संबंध में किसी का कोई कदाशय निहित नहीं पाया गया है। अतएव इसके लिए किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं पायी गयी है। उक्त त्रुटि के कारण मा० सदस्य को हुई असुविधा के लिए खेद है।

उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम एम० काम०)–

मान्यवर,मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बाबू राम एम० काम०–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक ऋण और सरकारी प्रतिभूतियों और उनके सम्बन्धित आनुषंगिक विषयों का विनियमन विधि द्वारा करने और संसद को सशक्त करने के संबंध में संकल्प

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी'')–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि चूंकि यह सदन इस मत का है कि राज्यों में लोक ऋण और सरकारी प्रतिभूतियों और उनसे संबंधित और आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने के लिए पूरे देश में एक सी विधि वांछनीय है,

और, चूंकि ऐसी विधि की विषय वस्तु मुख्यतः भारत का संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–2 राज्य सूची की प्रविष्टि–43 में प्रमाणित विषय से संबंधित है,

और, चूंकि संसद को, भारत का संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में यथा उपबंधित के सिवाय उपर्युक्त सातवीं अनुसूची की सूची–2 राज्य सूची में प्रमाणित किसी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति नहीं है,

और, चूंकि सरकारी प्रतिभूतियों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र व राज्य सरकारों के लोक ऋणों के प्रबन्ध से सम्बन्धित विषयों को विनियमित करने के लिए लोक ऋण अधिनियम, 1944 प्रवृत्त है,

और, चूंकि सरकारी प्रतिभूतियों के धारकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अच्छी और बेहतर सेवा उपलब्ध कराने हेतु लोक ऋण अधिनियम, 1944 को निरसित कर उसके स्थान पर संसद द्वारा नई विधि बनाया जाना वांछनीय है ।

अतः यह सदन ''भारत का संविधान'' के अनुछेद 252 के अनुसरण में इस संकल्प द्वारा उत्तर प्रदेश में लोक ऋण और सरकारी प्रतिभूतियों और उनसे संबंधित और आनुषंगिक विषयों का विनियमन विधि द्वारा कराने के लिए संसद को सशक्त करता है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि ''चूंकि यह सदन इस मत का है कि राज्यों में लोक ऋण और सरकारी प्रतिभूतियों और उनसे संबंधित और आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने के लिए पूरे देश में एक सी विधि वांछनीय है ।

और, चूंकि ऐसी विधि की विषय वस्तु मुख्यतः भारत का संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–2 राज्य सूची की प्रविष्टि 43 में प्रगणित विषय से संबंधित है,

और, चूंकि संसद को, भारत का संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में यथा उपबंधित के सिवाय उपर्युक्त सातवीं अनुसूची की सूची–2 राज्य सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति नहीं है,

और, चूंकि सरकारी प्रतिभूतियों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र व राज्य सरकारों के लोक ऋण के प्रबन्ध से सम्बन्धित विषयों को विनियमित करने के लिए लोक ऋण अधिनियम, 1944 प्रवृत्त है,

और, चूंकि सरकारी प्रतिभूतियों के धारकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अच्छी और बेहतर सेवा उपलब्ध कराने हेतु लोक ऋण अधिनियम, 1944 को निरसित कर उसके स्थान पर संसद द्वारा नई विधि बनाया जाना वांछनीय है ।

अतः यह सदन ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–252 के अनुसरण में इस संकल्प द्वारा उत्तर प्रदेश में लोक ऋण और सरकारी प्रतिभूतियों और उनसे संबंधित और आनुषंगिक विषयों का विनियमन विधि द्वारा करने के लिए संसद को सशक्त करता है ।''

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, यह थोड़ा ऐसा विषय है जिसमें भारत सरकार को प्राधिकृत किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि सदन भी इसमें तथ्यों से अवगत हो जाय ।

श्री अध्यक्ष–

यह संकल्प बहुत स्पष्ट है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, इसमें लोक ऋण 1944 का निरसन किया जाना है । इसमें भारत सरकार तभी निरसन कर सकता है जब प्रस्ताव पास हो जाय । जो माननीय मंत्री जी ने संकल्प रखा है उसके संबंध में वह अपने विचार सदन में रख दें ।

श्री अध्यक्ष–

अब सम्भवतः माननीय शाक्य जी इस प्रकार के संकल्प बिना वाद-विवाद के पारित हो जाते हैं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से यह संकल्प स्वीकृत हुआ)

अब हम मद संख्या–11 पर पहुंच गये हैं । माननीय सुबाष जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं ।

कोरम के अभाव में दिनांक 20 अक्टूबर, 2000 को स्थगित सदन एवं उस दिन की कार्यसूची के अवशेष सम्बित सूचनाओं को अगले उपवेशन में सम्मिलित किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, नियम–103 में गन्ना नीति और चीनी उद्योग नीति में परिवर्तन करने के लिए मैंने एक प्रस्ताव दिया था । लेकिन सदन में कोरम के अभाव में वह प्रस्ताव नहीं लिया जा सका । माननीय अधिष्ठाता ने यह व्यवस्था दी थी कि 23 या 24 तारीख के उपवेशन में इस पर चर्चा की जायेगी । लेकिन मेरा उपरोक्त प्रस्ताव आज की कार्य-सूची में नहीं अंकित है ।

श्री अध्यक्ष–

आज कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक है उसमें इस पर विचार कर लिया जायेगा ।

नियम–311 के अन्तर्गत प्राप्त तथा नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

आज दिनांक 23-10-2000 को नियम–311 में प्राप्त सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल बीस सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से श लाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हतु सुना जायेगा शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है । पहली सूचना जो श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री इन्द्रजीत सरोज व अन्य किसी उस पर सुन लिया गया है ।

दूसरी सूचना श्री लालजी वर्मा व अन्य की प्रदेश में किसानों के उत्पादों का बहुत कम मूल्य मिलने, धान के क्रय केन्द्र आवश्यकता अनुरूप न खोले जाने एवं सिंचाई की समुचित सुविधा न होने एवं राजस्व विभाग व पुलिस द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । यही सूचना श्री समर पाल सिंह व अन्य की तथा श्री ज्वाला प्रसाद यादव व अन्य की है । अगली सूचना श्री मुन्ना चौहान, श्री विजेन्द्र आर्य की उत्तरांचल राज्य सचिवालय के लिए कार्मिक संबंध के बारे में है । अगली सूचना श्री राम प्यारे सिंह व अन्य की जनपद–आजमगढ़ तथा बहराइच में अतिवृष्टि एवं बाढ़ की विभीषिका से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । यही सूचना श्री राम तेज यादव एडवोकेट व अन्य की है । अगली सूचना श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर, की जनपद देवरिया की सलेमपुर तहसील अन्तर्गत ग्राम रामपुर तप्पा घाटी में अब चकबन्दी कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । अगली सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव व अन्य की प्रदेश के प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालयों तथा संस्कृत पाठशालाओं एवं अरबी मदरसों आदि के शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वेतनमान लागू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । अगली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री हरदेव सिंह, श्री उदयराज यादव, श्री जोखू लाल यादव, श्री सुधाकर सिंह, श्री महेन्द्र कुमार सिंह, श्री बी० आर० वर्मा, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री सीताराम निषाद, श्री राम ललित चौधरी, श्री जगदीश नारायण राय, श्री उबैदुर्रहमान, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम ललित चौधरी, श्री जगदीश नारायण राय आदि की प्रदेश में निरन्तर बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कौशाम्बी की महत्वपूर्ण घटना पर आपने पहले सुना अच्छा विषय था एक जगह सात लोग मारे गये । मान्यवर, जो हम लोग का विषय है वह पूरे प्रदेश में गिरती कानून-व्यवस्था की स्थिति के संबंध में है ।

श्री अध्यक्ष

आपको मालूम है कि शलाका के आधार पर सूचनायें चयनित होती हैं । प्रयास यह करें कि बहुत संक्षेप में बोलें और जिन माननीय सदस्यों की सूचना दो-दो विषयों पर है वह एक में ही बोल लें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, दो-दो मिनट सुन लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, माननीय लालजी वर्मा के बाद किसानों की समस्या के बाद आपको सुन लेंगे ।

* श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में किसान भुखमरी की कगार पर पहुंचाया जा रहा है जो स्थिति आज है विश्व व्यापार संगठन के दबाव में सरकार ने जो निर्णय किया है उसका हश्र यह होगा कि जो हमारा उत्पादन बढ़ा है, इस प्रदेश के किसानों ने अथक परिश्रम करके अपने उत्पादन को बढ़ाने का काम किया लेकिन आज सरकार के गलत रवैये के कारण मान्यवर, किसानों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है । हम लोगों ने देखा है जब प्रत्येक वर्ष समय आता है धान क्रय का तो सरकार बढ़-चढ़कर घोषणा करती है किसानों के उचित समर्थन मूल्य के लिए कि हमने इतना दाम धान का तय किया, गेहूं का तय किया है इसी तरह से विभिन्न अनाजों के समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है । आज खरीफ की फसल में धान ही एक ऐसा उत्पादन है जिसमें हमारे देश के वैज्ञानिकों ने क्रान्ति ला दी है जिसके आधार पर धान की पैदावार बढ़ गयी है । धान की पैदावार बढ़ाने के उपरान्त जब आज उत्पादन लागत बढ़ गयी है । डीजल, उर्वरक, बीज, कीटनाशक दवाओं के दाम बढ़ गये इस तरह से प्रत्येक दिशा में मूल्यों में वृद्धि होने के बाद उत्पादन लागत में अभूतपूर्व वृद्धि हुई जिसके कारण आज एक कुन्तल धान पैदा करने में लगभग 600 रुपये की लागत आती है इसके बाद भी धान का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है मोटे का 510 रुपया और महीन का 580 रुपया कुन्तल । मान्यवर, आज जब खरीफ की फसल आई है और धान कटने जा रहा है और वह किसान के घरों में आ रहा है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है । सरकार ने बार-बार कहा कि हम क्रय केन्द्र खोलेंगे लेकिन आज स्थिति यह है कि किसी भी जिले में धान क्रय केन्द्र नहीं खोले गये हैं और न ही कहीं पर बोरा पहुंचाया गया है और कहीं पर तो क्रय केन्द्र इसलिये नहीं खोले जा सके हैं क्योंकि उनके बफर स्टाक में जगह ही नहीं है कि इतना धान रखा जा सके । इससे किसानों ने जो धान पैदा किया है 600 रुपया लागत लगाकर वह आज कौड़ियों के दाम बिक रहा है जिसके कारण पूरे देश का किसान परेशान है । आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों ने जाम लगा रखा है । इसी तरह से प्रत्येक जिले में किसान आन्दोलन चलाकर अपनी इस समस्या को सरकार के सामने लाकर धान क्रय केन्द्र खोले जाने की मांग कर रहे हैं लेकिन इसके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बावजूद किसी भी जिलें में एक भी धान का क्रय केन्द्र नहीं खोला गया है और जो समर्थन मूल्य है आज उसके विपरीत 300 और 350 रुपये में धान बिक रहा है । अगर यही हालत रही तो जिस तरह से महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के कपास के किसानों ने आत्महत्या करने का काम किया है उसी तरह से उत्तर प्रदेश का किसान भी आत्महत्या पर मजबूर होगा । इसलिये यह तात्कालिक समस्या है और पूरे प्रदेश के किसान आन्दोलित हैं । अगर तत्काल यह व्यवस्था नहीं की गयी तो इस प्रदेश के सामने एक गम्भीर संकट आने वाला है । यह तात्कालिक है, अविलम्बनीय है इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय जिससे किसानों को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके और क्रय केन्द्र खोलकर धान क्रय किया जाय अगर असुविधा है तो किसानों का चावल भी क्रय किया जाय समर्थन मूल्य के आधार पर तो इससे उसको कुछ सुविधा मिल पायेगी । मैं चाहूंगा कि इस गम्भीर विषय पर आज की कार्यवाही रोककर निश्चित रूप से चर्चा कराने की कृपा करें जिससे किसानों का हित संरक्षित हो सके ।

(इस समय 2 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

*श्री राम ललित चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, क्रय केन्द्र खोलने की घोषणा सरकार करती है लेकिन वह घोषणा केवल कागज में रह जाती है । कहीं भी क्रय केन्द्र नहीं खुले हैं । जब गेहूं का सीजन था, तब भी क्रय केन्द्र नहीं खुले और अगर कहीं खुले भी तो खरीद नहीं हुई । इसी तरह आज धान का सीजन आ गया है । किसान औने-पौने में 250 रुपया प्रति क्विंटल में सरया, सरयू–52 बेच रहा है, जबकि सरकार ने मोटे धान का 510 रुपया और बारीक धान का 540 रुपया तय किया है । बारीक धान को किसान 350 रुपये प्रति क्विंटल बेचने पर मजबूर है । जहां सेन्टर खुले भी हैं, वहां खरीद इसलिये नहीं हो रही है, कहीं बोरा नहीं है, कहीं चेक नहीं है । मैं अपने बस्ती जनपद की बात कहना चाहता हूं । माननीय कृषि मंत्री जी बस्ती के रहने वाले हैं, जब वहां की स्थिति है तो फिर उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा ? आज किसान की गर्ज है, उसे रजाई बनवानी है, बच्चों की फीस जमा करनी है, बीज और खाद की व्यवस्था करनी है । आज पूरे सूबे का किसान इसको लेकर आन्दोलित है और उसमें जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है । मेरा आपसे आग्रह है कि इस विषय पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की आप कृपा करें।

श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

मान्यवर, मेरी भी इसी मे एक सूचना थी, मछली शहर में एक किसान की हत्या हुई है, एक पत्रकार की हत्या हुई है ।

* श्री विनोद मणि–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी घोषणाओं के बावजूद इनकी जो धान खरीद की एजेन्सियां थीं, एफ० सी० आई०, यू० पी० एग्रो, मण्डी समिति, ने धान की खरीद शुरू नहीं की है । मान्यवर, सरकार ने अखबारों में बड़ी घोषणा की कि किसान कों धान का समर्थन मूल्य 510 और 540 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया है । मैं पूछना चाहता हूं, संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां 80 प्रतिशत से ज्यादा लोग कृषि पर आधारित हैं और खेती से ही अपने जीवन की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं । यह सरकार एक तरफ किसान की हितैषी बनने का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ढकोसला करती है और दूसरी तरफ किसान का जो धान 510 और 540 रुपये प्रति क्विंटल जाना चाहिए, सरकार अपनी गलत नीतियों के कारण किसान को 250 रुपये और 300 रुपये प्रति क्विंटल पर अपना धान बिचौलियों के हाथों बेचने पर मजबूर कर रही है। मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज किसान का बड़े पैमाने पर शोषण होना शुरू हो गया है और गोरखपुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर आदि में कहीं भी क्रय केन्द्र नहीं खुले हैं। प्रशासनिक अधिकारी भले ही कुछ भी जवाब दे दें लेकिन आप सत्यता पर जायें। माननीय सदन का कोई भी विधायक गलत सूचना के आधार पर यहां कोई निवेदन नहीं करेगा। अगर आपको यह सूचना प्राप्त हो कि क्रय केन्द्र चालू हैं, तो यह असत्य सूचना है। आप इसका पता लगा लें। अगर कहीं क्रय केन्द्र खुले हैं तो वहां केवल बैनर लगा है, यू० पी० एग्रो, मंडी समिति, लेकिन जब किसान वहां जाता है तो उसे सूचना मिलती है कि अभी मुझे पैसा नहीं मिला है जो मैं आपका धान खरीद कर पैसे का भुगतान कर सकूं। कहीं किसी सेन्टर पर बोरों की कमी के कारण धान खरीद नहीं हो पा रही है और बिचौलिये व्यापारी 250 रुपये और 300 रुपये पर किसान का धान खरीद कर उसका शोषण कर रहा है। इस महत्वपूर्ण सवाल पर, कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते, सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें, इससे महत्वपूर्ण; अविलम्बनीय और लोक महत्व का तात्कालिक विषय और कोई दूसरा नहीं हो सकता।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसान द्वारा उत्पादित धान के अलावा गेहूं, मक्का, बाजरा, आलू और लहसुन के जो काश्तकार हैं, इस प्रदेश में करोड़ों-करोड़ों की संख्या में हैं। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। जब तक किसान और गांव खुशहाल नहीं होंगे, तब तक शहर खुशहाल नहीं हो सकते। आज प्रदेश सरकार की जो आयात और निर्यात नीति है, जो उद्योग नीति बनी है, जो किसान के उत्पादन की मूल्य नीति बनी और है और जो कृषि नीति बनी है और भारत सरकार के जो विदेशों से समझौते होते हैं, उसकी प्रतिक्रया स्वरूप मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश के किसान की क्रय शक्ति बहुत कमजोर हो रही है और भूखों मरने के कगार पर पहुंच गया है। मान्यवर, मैं मेरठ का एक उदाहरण देना चाहता हूं। वहां के एक किसान ने इस बात से दुखी होकर कि बार-बार आलू, लहसुन और बाजरा में घाटा होता है, सल्फास खाकर आत्म हत्या कर ली। मान्यवर, मैं लम्बी बात न कहकर थोड़े आंकड़े पेश कर रहा हूं। आलू की जो स्थिति है, आज 85 रुपये प्रति बोरा कोल्ड स्टोरेज को देना पड़ता है, 25 रुपये का बारदाना लगता है 7 रुपये पल्लेदारी, 15 रुपये और लगता है। इस प्रकार प्रति बोरा 132 रुपये के हिसाब से किसान को देना पड़ता है और मार्केट में जो बीज का आलू है, 100 रुपये प्रति बोरा बिकता है तो इससे दो तरह के आंकलन आते हैं, एक तरफ किसान मजबूरीवश अपना आलू कोल्ड स्टोर से नहीं छुड़ाना चाहता है, अगर वह आगे की फसल पैदा करना चाहता है तो उसे घाटा उठाना पड़ता है। इसी तरह और भी मैं इस सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आलू की लागत जो है, उसमें जुताई की जाती है, निराई की जाती है, गुड़ाई की जाती है। मेरा आंकलन यह है कि इस प्रकार किसान को प्रति एकड़ 15700 रुपये का घाटा हो रहा है। इसी प्रकार लहसुन में भी है। उसमें भी तमाम लागत लगती है। उसमें भी निराई, गुड़ाई और तमाम कार्य करने होते हैं, लहसुन का काश्तकार भी 14104 रुपये प्रति एकड़ का घाटा उठा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जहां पर लहसुन के काश्तकार का प्रति एकड़ 14104 रुपये का घाटा हुआ और आलू के किसान का प्रति एकड़ 15700 रुपये का घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, इसी तरह से धान के बारे में अन्य सदस्यों ने अपनी बात बता दी है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, 98 में धान 400–500 रुपये प्रति कुन्तल बिका था और 99 में 425–550 रुपये प्रति कुन्तल बिका था लेकिन आज धान 300, 350 रुपये प्रति कुन्तल के भाव से बिक

रहा है । इसी प्रकार से 1998 में बाजरा 300–500 रुपये और 1999 में 350–550 रुपये और सन् 2000 में बाजरा 200 से 250 क्विंटल पर बिका । इसी तरह से मक्का के संबंध में कहना चाहता हूँ । 1998 में मक्का 400-500 रुपये 1999 में 400-650 रुपये और सन् 2000 में केवल 300-325 रुपये क्विंटल बिक रहा है । किसान द्वारा पैदा की गयी चीजों की कीमतें गिर रही हैं तो किसान कहां जायगा । दूसरी तरफ जो चीजें कारखानों में बनती हैं चाहे वह माचिस हो, सुई, दवाई, ट्रैक्टर के पार्ट्स हों उनकी कीमत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही हैं । उत्तर प्रदेश की सरकार की यह नीति नहीं है कि कारखानों में बनने वाली चीजों के दाम कम हों । किसान की घटती क्रय शक्ति के कारण किसान भुखमरी के कगार पर है । पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी आंदोलन कर रही है और उसके लाखों लोग जेल गये हैं और जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं ।

(इस समय 12 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान पीठासीन हुए।)

मैनपुरी और अन्य जगहों पर किसान आत्म हत्या कर रहे हैं क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब हो गयी है । इससे ज्यादा अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न और कोई नहीं है । मैं इसकी ग्राह्यता पर बल देते हुये कहना चाहता हूँ कि इससे ज्यादा जनहित का और कोई तात्कालिक प्रश्न नहीं है इसलिए इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

मान्यवर, मेरी भी सूचना है ।

श्री अधिष्ठाता–

3 माननीय सदस्यों को मैं इस पर सुन चुका हूँ ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय ज्वाला प्रसाद ने अलग से सूचना दी है ।

श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

मान्यवर, मैंने अलग से सूचना दी है । माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि इसी पर सुन लेंगे ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन में एक गंभीर प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । जनपद जौनपुर की मछलीशहर तहसील में राजस्व कर्मचारियों जिसमें 2 नायब तहसीलदार, 3 अमीन, 2 चपरासी और 2 होमगार्ड के कर्मचारी थे वह कोढ़ा गांव में जीप से जाते हैं, एक लल्लन बिन्दु नाम के किसान से मात्र 2 हजार की वसूली के लिये जाते हैं । लल्लन विंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुखनन्दन विंद का नाती था । मात्र 2 हजार रुपये के लिये सभी लोग उसको पकड़ कर उसकी पिटाई करते हैं और पिटाई से उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो जाती है । उसको जीप में लादकर वह लोग तहसील की तरफ आते हैं और लल्लन विंद की मूँछ में जलती सिगरेट लगाते हैं जिससे उसकी मूंछ जल जाती है । तथा जलती सिगरेट उसकी नाक मे डालते हैं । जब वह हिलता डुलता नहीं तो कर्मचारियों और अधिकारियों के होश उड़ गये और वह उसको मछली शहर अस्पताल में ले जाते हैं । वहां जाकर डाक्टर से कहते हैं कि इसको एडमिट कर लीजिये इसको मिर्गी आती है । डाक्टर ने लल्लन बिन्द को मृत घोषित कर दिया । तहसील के अधिकारी और कर्मचारी लाश को जीप से ले जाकर तहसील परिसर में उसे छोड़कर फरार हो जाते हैं । इस घटना की सूचना जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैल गयी । देखते ही देखते मछलीशहर तहसील को हजारों लोगों ने घेर लिया । इस घटना का सबसे दुःखद पहलू लल्लन बिन्द की बेवा उसकी लाश को पकड़कर तहसील परिसर में रो रही थी, उसके खानदान तथा रिश्तेदारों की और औरतें उसको घेरे हुये थी उस समय उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी

सरकार की पुलिस और पी०ए०सी० ने उन महिलाओं पर बर्बर लाठीचार्ज किया । जो ग्रामीण एवं किसान घेरे हुये थे उन पर पी०ए०सी० और मुलिस ने लाठियाँ भाँजी और गोलियां चलायीं इससे एक दहशत का माहौल मछलीशहर में हो गया । एक ग्रामीण पत्राकार सुरेन्द्र मौर्या की पुलिस की गोली लगने से मृत्यु हो गयी तथा सैकड़ों घायल हो गये । लाश उसके परिवार वालों को पुलिस नहीं दे रही थी । सुरेन्द्र मौर्या के दो गोली लगी थी एक पेट के नीचे दूसरी जाँघ में लगी थी । ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हुई कि इलाहाबाद ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गयी माननीय अधिष्ठाता महोदय, मै आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि वहाँ पर पुलिस और पी०ए०सी० के लोगों ने मछलीशहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था । रात में कुछ दुकानें लूटने का भी काम किया । इतना ही नहीं लाठीचार्ज करके और गोली चलवाकर पुलिस और प्रशासन के लोग मृतक लल्लन बिन्द को लेकर जौनपुर चले गये । प्रशासन के लोगों नें डाक्टरों से मिलकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखवा दिया कि हार्ट-अटैक से लल्लन बिन्द की मृत्यु हुई है । इस घटना को सैकड़ों लोगों ने देखा था । लल्लन बिन्द को राजस्व विभाग के अधिकारियों और होमगार्ड के लोगों ने बट से इतना मारा था कि खून गिरा था और सिर फट गया था ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 12 बजे रात्रि में पोस्टमार्टम हो जाने के बाद जब लल्लन बिन्द के पिता पारसनाथ बिंद लाश मांग रहे थे कि वह उसका दाह संस्कार वाराणसी में करेंगे लेकिन जौनपुर पुलिस ने लाश नहीं दिया और मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जला दिया । सुरेन्द्र मौर्या की रास्ते में मृत्यु हो गयी और सुबह जब लाश मछलीशहर वापस आती है तो हजारों किसान नौजवान लाश को सड़क पर रखकर चक्का जाम व धरना प्रदर्शन करते हैं । मैं भी बधाई देना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्येक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी को की उन्होंने प्रान्तीय उपाध्यक्ष भगवती सिंह को घटना स्थल पर भेजा वह घटना स्थल पर जाकर चक्का जाम में, उसमें शरीक होते हैं शाम को 4.30 बजे जिलाधिकारी घोषणा करते हैं कि जिन पुलिस कर्मी दरोगा ने गोली मारी है उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम हो गया है तब जाकर चक्का जाम समाप्त हुआ यह ऐसी घटना है जिनमें तहसील व जिला प्रशासन पूरी तरह से दोषी है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

मान्यवर, जिस केस का मुल्जिम सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबिल हो, नायब तहसीलदार हों उसकी इनक्वायरी एक इंस्पेक्टर क्या करेगा ? मैं चाहता हूँ कि इसमें पुलिस प्रशासन के साथ-साथ तहसील और जिला प्रशासन के लोग दोषी हैं । इस सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच हाईकोर्ट के कार्यरत न्यायाधीश से करायी जाये । मान्यवर, दूसरी मांग है कि जो निर्दोष किसान हैं जिन पर फर्जी मुकदमें कायम करके जेल में बंद किया गया है उनके मुकदमें वापस लिये जाय । तीसरी मांग है कि मृतक विधवाओं को 10-10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाय । दोषी को जिला जेल भेजा जाय, मान्यवर, मामला गंभीर है, किसान और ग्रामीण पत्रकार से संबंधित है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस ने हैवानियत का परिचय दिया है वैसा आजादी के समय संघर्ष में भी देखने को नहीं मिला था । इसलिए इस संबंध में मैं न्यायिक जाँच की मांग करता हूँ । मान्यवर, यह मामला अविलम्बनीय और लोक महत्व का है इसलिए सारे नियमों को शिथिल करते हुए इसमें चर्चा करायी जाय ।

श्री धनीराम वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय अभी माननीय सदस्य श्री राम औतार शाक्य और श्री ज्वाला प्रसाद जी ने जो इस सरकार की किसान विरोधी नीतियां सदन के समक्ष रखीं उससे मैं अपने को संबद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ कि यह सब क्यों हो रहा है ? मान्यवर, निश्चित तरीके से कोई कार्य होता है तो उसका कोई न कोई कारण होता है । श्रीमन् यह सरकार किसान विरोधी है । मान्यवर, जिस किसान की संख्या इस देश और प्रदेश में 75 प्रतिशत है, यदि यह 75 प्रतिशत जनता जागरूक हो जायेगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों, कुशासन और गलत नीतियां समझने लगेगी और फिर इस सरकार को एक मिनट भी यहां नहीं रहने देगी । इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस 75 प्रतिशत जनसंख्या वाले कास्तकार को दबाने का काम शुरू कर दिया है और यह काम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से कर रही है तथा किसान नहीं समझ पा रहा है चूंकि वह इतना शिक्षित और जागरूक नहीं है कि उसका गेहूं और धान सस्ता क्यों हुआ ? (व्यवधान) आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनें । श्रीमन् आज काश्तकार समझ नहीं पा रहा है कि उसका गेहूं सस्ता क्यों हुआ ? श्रीमन् गेहूं सस्ता इसलिए नहीं हुआ जैसा कि मंत्री जी ने सुबह बताया था कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की पैदावार बहुत हो गयी है इसलिए सस्ता हो गया । यदि पैदावार बहुत हो गया तो सरकार का क्या दायित्व नहीं है कि सरप्लस गेहूं को खरीद ले और वहां भेजे जहां उसकी आवश्यकता हो । यदि देश में जरूरत नहीं है तो दूसरे देशों से सम्पर्क करे जहां इस देश और प्रदेश का गेहूं जा सके ।

मान्यवर, आज धान सस्ता क्यों है, आज धान 310-325 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक नहीं बिक रहा है जबकि पिछले वर्ष 500 रुपये बिका था । श्रीमन् इसमें वास्तविकता यह है कि विगत वर्ष जो चावल मिलें चाहे अरुवा अथवा सेला चावल बनाने वाले हों । चाहे सेला बनाने वाले लोग हों, चाहे चावल मिल वाले हों जिसने जितना काम किया उसको उतना नुकसान हुआ क्योंकि सरकार ने चावल खरीदा नहीं 60 प्रतिशत चावल खरीदनें और 40 प्रतिशत चावल बाहर बेचने के लिए सरकार ने पहले से कानून बना रखा है लेकिन 60 प्रतिशत चावल खरीदा नहीं यह कह दिया कि बोरे नहीं, कहीं कह दिया कि डिस्कलर है, कहीं कह दिया कि ब्रोकन है, कहीं कह दिया कि गीला है । इससे मिल मालिकों के यहां हजारों बोरे चावल पड़ा हुआ है इस साल भी चावल नहीं खरीद रही है और कह दिया कि चावल सरप्लस हैं । 40 प्रतिशत शेयर रह जाता है वह भी नहीं बिकेगा क्योंकि सरकार जो चावल सस्ती दरों पर बेच रही है वह जा रहा है बाजारों में 600 रुपये व 500 रुपये में बिक रहा है । अतः हर एक को 100 रुपए 150 रुपए का नुकसान होगा इसलिए धान की बुरी हालत है सरकार अंधी-बहरी और गूंगी है बार बार कहती है कि क्रय केन्द्र खोल दिया है उसने कहाँ क्रय केन्द्र खोला है यह बताए और किस केन्द्र पर कितना धान खरीदा गया है यह बताए । श्रीमन् लहसुन जो मिट्टी मोल बिक रहा है वह सरकार की वजह से बिक रहा है । चाइना से लहसुन उतर रहा है तमाम लहसुन पड़ा हुआ है लेकिन सरकार चाइना से लहसुन मंगा रही है । सरकार की हालत यह है कि दूध डेनमार्क से मंगाना शुरू कर दिया है अकील मटर विदेशों से आ रहा है और हमको डालरों में पैसा देना पड़ रहा है इससे देश विदेशी कर्ज में डूबता जा रहा है कितना आप इस देश को विदेशी कर्ज से डुबायेंगे । जब हमारी पैदावार बढ़ रही है तो विदेशों से इन चीजों को मंगाने की क्या जरूरत है ? दूसरी तरफ अमेरिका है जो वहाँ उत्पादन होता है वह सरकार दूसरे देशों को सस्ती दरों पर बेचती है और अपने किसानों को 6 गुना तक सब्सिडी देती है । ताकि किसान की उपज से विदेशी डालर देश में आएं व लोग खुशहाल हों और विदेश से जो अन्न आ रहा है खाद्यान्न आ रहा है उससे इस देश के किसानों का उत्पाद सस्ती दरों पर बिक रहा है । सरकार को विदेशी कर्ज लेकर यह सारी चीजों खरीदनी पड़ रही है । हम जानबूझकर विदेशी कर्ज बढ़ा रहे हैं । क्यों बढ़ा रहे हैं ? तेल बाहर से आता है अरे क्यों आता है ? ज्यादा तिलहन पैदा करने का प्रयास करें । कहते हैं सस्ता आ रहा है तो क्या डालर नहीं देना पड़ रहा है ? किसान अपने

उत्पाद की कीमत मांगता है तो उसे गोली मार दी जाती है । मैंने अभी बताया शाहजहाँपुर में, हमारे जिले में ताजपुर, कूपपुर विधूना में गेहूँ खरीद लिया गया है लेकिन गेहूँ अभी तक उठाया नहीं गया है किसानों को उनका भुगतान नहीं किया गया है । लगान और वसूली के नाम पर कालकोठरी में बन्द किया जाता है । अभी ज्वाला प्रसाद जी ने जो बिन्दु उठाया उसमें भी उस किसान का दो हजार रुपया बकाया था । जिन किसानों का लगान का खाद्यान का पैसा बकाया है उन्हें जेलों में ठूँसा जा रहा है इसलिए सारा किसान क्षुब्ध और दुःखी होकर बैठा हुआ है । जिस वक्त मौका आयेगा तो यही किसान इस किसान विरोध सरकार को उखाड़ फेंकेगी । इसी प्रकार करहल और सोरों में जमानत जब्त हो गई । इनको कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा । आज किसान अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है रोटी नहीं दे पा रहा है जाड़े में रजाई नहीं दे पा रहा है । यह सरकार 510 रुपये में धान खरीद ले यदि नहीं खरीदती है तो हम समझेंगे कि यह सरकार किसान विरोधी है । मैं आपके माध्यम से माँग करता हूँ कि इस लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराई जाय ।

खाद्य एवं रसद मंत्री–(चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, नेता विरोधी दल को बहुत हमदर्दी है किसानों से । हमें भी है । अभी जो चर्चा कर रहे थे मैं सुन रहा था

श्री धनीराम वर्मा–

यह चर्चा कहाँ हो रही थी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

अभी जो सदस्यगण ध्यानाकृष्ट कर रहे थे ग्राह्यता के बारे में बोल रहे थे मैं सुन रहा था निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार पूरी तरीके से किसानों के हितों के लिए चिन्तित है और बराबर प्रयास कर रही है । हमने कल का समय दिया है तय किया है भारत सरकार के खाद्य मंत्री से मिलने का और वहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश के किसानों को चाहे वे धान के कृषक हों या गेहूं के उनको किस तरह से राहत दिलायी जाये, चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे । अभी यह कह रहे थे कि कोई क्रय केन्द्र नहीं खोला गया । ऐसा नहीं है । प्रदेश में 1425 क्रय केन्द्र स्थापित होने थे उसमें से 1230 क्रय केन्द्र खोले जा चुके हैं आज भी मैंने समीक्षा की है और चर्चा की है इस बारे में । जहां नहीं खुले हैं वहां स्थापित कर दिये जायेंगे । जहां तक किसानों को रियायत देने का सवाल है .....।

श्री धनीराम वर्मा–

जरा यह बता दें कि क्रय केन्द्रों पर खरीदा कितना गया ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

अभी आपको सारी जानकारी करा दूंगा । जो भी जानकारी मेरे पास है, वह मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा । 3-4 बातों के संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा । एक तो हमारा प्रयास यह है कि पंजाब सरकार को भारत सरकार ने जो सुविधायें दी हैं वह सुविधायें हमने उत्तर प्रदेश के किसानों को देने के लिये इन एन्टीसिपेशन में जी० ओ० जारी कर दिया गया है और कल भारत सरकार के खाद्य मंत्री जी से चर्चा भी होगी । धान के बारे में एक बात यह भी बता दूं कि जो 3 प्रतिशत दागी धान होता था, इसके बारे में हमने कह दिया है कि 8 प्रतिशत तक दागी धान को भी क्रय कर लिया जाय और हमारे क्रय केन्द्र भी इस संबंध में हैं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस संबंध में मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि अभी धान की आयात बहुत कम हैं । वह धान जो चाइना–4 है, उसे राहत मिल्स इस्तेमाल नहीं करती हैं, उसे चूड़ा मिलें इस्तेमाल करती हैं क्योंकि इसमें नमी की मात्रा 22 से 25 प्रतिशत

तक होती है । उस धान को कभी भी सरकारें खरीदती नहीं रही हैं । यह सही है कि इस धान की कीमत साढ़े तीन सौ, 375/- व 400/- रुपए प्रति कुन्तल है, जो बहुत कम है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । जहां तक धान की खरीद का सवाल है, धान की खरीद भी शुरू हो गई है । अभी तक 1 हजार मीट्रिक टन धान सरकारी एजेन्सियों द्वारा खरीदा जा चुका है और जो राइस मिल्स हैं उन्होंने भी 22 हजार 87 मीट्रिक टन धान खरीदा है कल की तारीख तक । हमारी पूरी कोशिश है कि धान के किसानों की मदद हो और हम पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी मैं एक जानकारी देना चाहूंगा अभी 2-4 दिन से, जैसा कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तरांचल वाला हिस्सा है, ट्रेनें रोकी गईं, यातायात रोका गया, धान की खरीद न होने की वजह से । इससे ऐसा प्रतीत जैसा आप बता रहे हैं, धान की खरीद में कहीं न कहीं अवरोध हुआ है ।

श्री तिलकराज बेहड़–

मान्यवर, ऊधम सिंह नगर में 2 दिन से जाम लगा हुआ है । ऊधम सिंह नगर के लोग सड़कों पर हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह उचित नहीं है, कृपा करके आप लोग बैठें ।

श्री तिलकराज बेहड़–

माननीय अधिष्ठाता महोदय किसान सड़कों पर हैं । तीन दिन से जाम लगा हुआ है । अपने जनपद की बात बता रहा हूं । किसान परेशान हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्त रहें । बैठ जायं । माननीय बेहड़ जी आपने जो अपनी चिन्ता जाहिर की उसके बारे में मैंने स्वतः माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया कि इस तरह की जानकारी समाचार-पत्रों के माध्यम से और तमाम तरीकों से प्राप्त हो रही है । एक तरीके से वहां पर जन आन्दोलन हो रहा है । रेल यातायात रुक गया, सड़कें जाम हुई इससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं कठिनाई है । इसी बात को माननीय बेहड़ जी भी कह रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप बता रहे हैं मंत्री जी को तो जानकारी नहीं है । आज हमारे शाहजहांपुर और पीलीभीत से विधायक लोग नहीं आ पाये बहुत लेट हो गये आने में । आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं । मैं मौखिक रूप से माननीय मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना दे रहा हूं । लिखित रूप से बाद में दे दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

यह विषय किसानों से संबंधित है । इस विषय में माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी और माननीय मंत्री जी ने सरकारी पक्ष रखा यह हो सकता है कि किसी जगह विशेष के बारे में पर्याप्त सूचना न हो इसीलिये मैंने बीच में एक सूचना पीठ के माध्यम से देने का काम लिया । उसके बारे में मंत्री जी को उत्तर में कुछ कहना हो तो कहें । यह गम्भीर विषय है और किसानों से संबंधित है । कुछ सदस्यों ने

अपने क्षेत्र से संबंधित बात कही जैसे कि बेहड़ जी ने अपने क्षेत्र से संबंधित बात कही । जैसा, कि मैंने भी सन्दर्भित किया था ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, इस पर माननीय मंत्री जी अब कुछ आगे और कहने के लिये मना कर दीजिये । इस विषय को चर्चा के लिये ग्राह्य कर लीजिये । इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की भावनाएं आ जायेंगी । अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने इस बारे में चिन्ता प्रकट की । हम चाहते हैं कि इस पर सभी माननीय सदस्यों की भावनाएं आ जायं पक्ष के और विपक्ष के । तब उस पर आप सरकार को निर्देशित कर दीजिये । तब आप सरकार के पक्ष को भी सुन लीजियेगा ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मेरा आपसे एक अनुरोध है, कृपया सुनें तो । ज्वाला प्रसाद जी, कृपया बैठें । राम विशुन आजाद जी कृपया बैठें, स्थान तो ग्रहण करें । आपकी कही बात लिखी नहीं जायेगी । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री राम विशुन आजाद–

–[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

लिखा नहीं जाएगा । अभी मैंने आपसे कहा, नेता विरोधी दल ने अनुरोध किया मैंने स्वयं कहा गम्भीर विषय है । किसान से संबंधित विषय है उसके बावजूद भी निश्चित रूप से किसी बात पर सदन के माननीय सदस्यों ने कोई बात कही तो माननीय मंत्री जी कोई उत्तर देना चाहते हैं तो माननीय मंत्री जी को अधिकार है वह दे सकते हैं ।

(व्यवधान)

आप लोग कृपया बैठ जायं ।

श्री राम विशुन आजाद–

यह सरकार संवेदनशील नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुरोध कर रहा हूं मंत्री जी का उत्तर आ जाने दें । उसके बाद यदि आवश्यक होगा, चर्चा की आवश्यकता होगी तो उस पर विचार किया जाएगा ।

(व्यवधान)

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

आजाद जी, आप बैठ जायं यह आचरण अनुचित है ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे माननीय सदस्य ने कहा जो यह कहा कि पीलीभीत, उत्तरांचल तो पीलीभीत में जो लोगों ने जाम लगाया उसका विषय है पंजाब को जो रियायत दी गई उससे किसानों में रोष था तो वह स्वाभाविक है मैं उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर तुरन्त कार्यवाही की है । वहां धान के क्रय केन्द्र स्थापित किए गए हैं धान की खरीद शुरू हो गई है ।

श्री धनीराम वर्मा–

यह बात गलत है यह सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

(विपक्ष के अनेक माननीय सदस्य डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री राम विशुन आजाद, श्री उदयराज यादव, डा० वकार अहमद शाह, श्री वसीम अहमद, श्री दुर्गा प्रसाद, श्री भीम प्रसाद सोनकर आदि सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर नारे लगाते रहे)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता 3 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही 3 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 3 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 4 बजे तक बढ़ा दिया है । 4 बजे डिप्टी मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 4 बजकर 15 मिनट तक बढ़ा दिया है । 4 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 4 बजकर 30 मिनट तक बढ़ा दिया है । 4 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 35 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है । 4 बजकर 35 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी ।)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, चेतराम जी आ गये हैं, बेचारे जाम में फंस गये थे ।

श्री चेतराम–

मान्यवर; किसान सड़क पर धरना दे रहे हैं । माननीय सदस्य ने एक समाचार-पत्र सदन में दिखाया । मान्यवर, किसान की हालत बहुत दयनीय है । धान मात्र 200–300 रुपये प्रति कुन्तल पर खरीदा जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप स्थान ग्रहण करिये । मैं यह अनुरोध कर रहा था कि तमाम माननीय सदस्यों ने और माननीय नेता विरोधी दल ने इस विषय पर अपने विचार रखे । आपके संबंध में माननीय प्रमोद कुमार जी ने भी संदर्भित किया था । सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है, इस मामले में सरकार का क्या दृष्टिकोण है यह सदन को बताना माननीय मंत्री जी का अधिकार है । माननीय मंत्री जी सदन को अवगत करा दें उसके बाद स्पष्टीकरण के तौर पर पूछना चाहेंगे तो निश्चित रूप से अवसर दिया जायेगा ।

श्री चेतराम–

सरकार की तरफ से जो बयान आ रहा है वह असंतोषजनक है । पूरनपुर और पुवांया तहसील में जाम लगा है किसान सड़क पर बैठे हैं । किसान आन्दोलित और उत्तेजित हैं । धान का रेट सरकार ने 510 रुपये डिक्लेयर किया है लेकिन 300 पर खीदा जा रहा है । अगर सरकार ने 510 रुपये की घोषणा की है तो मेरी मांग है कि सरकार 510 रुपये पर धान खरीदे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी व्यवधान के बीच में कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे । माननीय मंत्री जी यदि आपको सरकार की किसी नीति या किसी कार्यवाही की सूचना सदन को देनी है तो कह सकते हैं ।

श्री तिलकराज बेहड़–

मान्यवर, किसान परेशान हो रहा है । दीवाली का त्योहार सर पर है एक भी कांटा जनपद में नहीं लगा है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना स्थान ग्रहण करिये । मैंने आपकी भावनाओं से स्वतः ही मंत्री जी को संदर्भित किया है । उस पर वह अपना वक्तव्य देना चाहते हैं तो उनको अवसर देंगे ।

* चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने सम्मानित सदन को यह अवगत कराया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर कदम उठाये हैं कि किस तरीके से किसानों को धान का लाभप्रद मूल्य मिल सके, सपोर्ट प्राइस मिल सके । इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है । कल हम लोग भारत सरकार के माननीय खाद्य मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं और इस विषय पर चर्चा होगी । इसके साथ ही साथ मान्यवर, सरकार ने इस पर निर्णय लिया है कि जो सुविधायें पंजाब को दी गयी हैं उसी तरीके की सुविधायें उत्तर प्रदेश के किसानों को धान के मसले पर मिले । इसमें दो तरीके की बातें हैं, जो दागी धान 3 प्रतिशत था उसे 8 प्रतिशत तक कर दिया गया है । अब उस सिलसिले में कोई दिक्कत नहीं होगी । रिकवरी के सिलसिले में यह रियायत दे दी गयी कि जो रिकवरी 68 प्रतिशत थी वह 65 प्रतिशत, जो 67 प्रतिशत थी वह 64 प्रतिशत की जायेगी । प्रदेश भर में सभी जगह क्रय केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं । अभी तक 1230 क्रय केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कितनी खरीद हुई, यह मंत्री जी बता दें ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

लक्ष्य की जहां तक बात है सरकार इस बारे में पूरी तरह से चिन्तित है । पहले लक्ष्य निर्धारित किया गया था । 1 लाख मीट्रिक टन का, बाद में विचार करके 3 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है । दूसरे अभी तक जहां तक खरीद की बात है, कल तक 1000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया था एजेन्सियों के द्वारा और जो मिल मालिक हैं उन्होंने 22 हजार 87 टन खरीदा था । पिछले वर्ष भी जो स्थिति थी वह अक्टूबर के महीने में धान की आवक उतनी नहीं होती है, नवम्बर से शुरु होगी । लेकिन यह जरूर खबरों में आ रही है कि बहुत सी जगह किसानों ने इस पर जाम भी लगाया है । वहां पर हमने अधिकारियों को भेजा हुआ है और उस पर प्रयास किये जा रहे हैं । मान्यवर, जैसे पंजाब को रियायत दी गयी वैसी रियायत दी जाय इसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं । हमारे यहां मथुरा के कोसीकलां से धान हरियाणा के होड़न मण्डी में जाया करती थी उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया । उस पर किसानों ने जाम लगाया । हमारे मुख्य मंत्री जी ने हरियाणा सरकार से बात की हमने भी चौटाला से बात की, केन्द्रीय खाद्य मंत्री शान्ता कुमार जी से बात हुई । यह कहा गया कि पूरा देश एक जोन है और कोई प्रदेश प्रतिबन्ध नहीं लगा सकता । हरियाणा ने वह वैन हटा लिया और धान फिर हरियाणा जाने लगा । पीलीभीत से भी कुछ शिकायतें मिलीं । शाहजहांपुर के माननीय सदस्य चेतराम जी ने अभी समाचार पत्रों का उल्लेख किया और उसे दिखाया भी । हमें उसकी जानकारी है । पीलीभीत और शाहजहांपुर जहां-जहां समस्या है वहां अधिकारियों को भेजा जा चुका है । क्रय केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं, खरीद जारी है । शाहजहांपुर में सरकारी एजेन्सियों के हिसाब से खरीद कम है लेकिन अभी तक वहां पर प्रदेश में सबसे अधिक खरीद की गयी है लगभग 500 मीट्रिक टन । यह कम है इसमें सन्देह नहीं लेकिन प्रयास जारी है । किसानों का समर्थन मूल्य अवश्य मिलेगा । सरकार इस बारे में चिंन्तित है ।

मान्यवर, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के हितों की रक्षा और हिफाजत करेगी, इस बारे में हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मंत्री जी गलतबयानी कर रहे हैं ।

(घोर व्यवधान, श्री चेतराम एवं श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना सदन के वेल में आकर बैठ गये और श्री प्रमोद कुमार की सहायता से वापस चले गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर जायं । आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें और व्यवधान न पैदा करें । आप लोग अपना-अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं जैसा कि अभी मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि सारे प्रदेश में तीन लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जायेगा । श्रीमन् मैं जानना चाहता हूं कि उ० प्र० में कितना धान पैदा होने का अनुमान है, यह बात अखबारों में आ चुकी है, इसलिये मंत्री जी इसमें बता दें ?

श्री चेतराम–

माननीय, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि हमारे जिले में 70 प्रतिशत धान कट चुका है लेकिन धान क्रय केन्द्र के बैनर तो लगे हैं किन्तु क्रय केन्द्रों में एक भी क्विंटल धान नहीं खरीदा गया है । इसलिये मैं मांग करता हूं कि मंत्री जी यहां स्पष्ट घोषणा करें कि 510 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों का धान खरीदा जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी ने अभी जो उत्तर दिया है उसमें काफी विस्तार से बताया है कि धान क्रय के संबंध में सरकार की क्या योजना है ? लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो पूछा है कि धान उ० प्र० में कितना पैदा होने का अनुमान है यदि यह सूचना मंत्री जी के पास हो तो बता दें ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय, मैं माननीय नेता विरोधी दल को जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस वर्ष 213 लाख मीट्रिक टन धान पैदा होने की उम्मीद है । माननीय सदस्य शाहजहांपुर अपनी बात कह रहे थे शाहजहांपुर में ही नहीं हमारा प्रयास है प्रदेश सरकार का प्रयास है कि पूरे प्रदेश में जो समर्थन मूल्य है वह किसानों को मिले । इस समय जो धान आ रही है उसमें नमी अधिक है वह नमी 20 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत है । जहां तक चावल मिल मालिकों द्वारा धान क्रय करने की बात है इस साल अब तक 22 हजार मी० टन धान मिल मालिकों ने खरीद है । पिछले साल 26-10-1999 तक करीब 49 हजार 461 मी० टन धान की खरीद की थी । यह कुछ मायने नहीं रखता है । हमारी चावल मिल मालिकों से बात हुई है उन्होंने यह बताया है कि धान की आवक दीवाली के बाद शुरू होगी दीवाली के बाद हम लोग अपनी-अपनी राइस मिल चालू करेंगे उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि वह धान को खरीदेंगे । जहां तक समर्थन मूल्य का सवाल है समर्थन मूल्य में ही धान खरीदा जाएगा । जिलाधिकारियों को यह निर्देशित कर दिया गया है कि अगर कहीं पर धान क्रय केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता हो तो वह स्थापित कर सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना श्री प्रमोद कुमार की कानून व्यवस्था के संबंध में है ।

श्री धनीराम वर्मा–

माननीय, मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैंने अगला नाम बुला लिया है ।

श्री धनीराम वर्मा–

आपको मेरी बात सुननी चाहिये । इस तरह से कार्यवाही नहीं चलेगी ।

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी के श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री अफजाल अहमद, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री सीताराम निषाद, श्री वसीम अहमद तथा श्री उदय राज यादव अनेक सदस्य वेल में आ गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

इस तरह के अशोभनीय आचरण की अनुमति नहीं दी जाएगी । कृपया स्थान ग्रहण करें । आप दबाव से सदन की कार्यवाही चलाना चाहते हैं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें।

श्री वसीम अहमद–

नेता विरोधी दल की बात सुनी जाय।

श्री अधिष्ठाता–

मैं किसी भी माननीय सदस्य की अनुचित टिप्पणी का संज्ञान लूंगा और उन माननीय सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। अशोभनीय आचरण मान्य नहीं होगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(फ्लोर में आये सदस्य नारे लगाते रहे।)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपने स्थान पर जाकर बैठ जायं और उचित तरीके से अपनी बात कहें। अनुचित दबाव डालकर सदन को स्थगित नहीं कराया जा सकता। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी के कई सदस्य अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने लगे।)

श्री अधिष्ठाता–

सरकार को आपकी इच्छानुसार उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सरकार की जो नीति है उसके अनुसार आपको उत्तर मिल गया है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(फ्लोर के सभी सदस्य अधिष्ठाता महोदय की ओर नारे लगाते हुए बढ़ने लगे।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं नेता विरोधी दल को आमंत्रित करता हूं।

(तत्पश्चात् वेल में उपस्थित सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी है और उसके धान को खरीद नहीं पा रही है। 3 लाख टन खरीदने का इनका लक्ष्य है परन्तु अभी मात्र एक हजार टन खरीदा गया है। यह मिल मालिकों से मिल गये हैं। इसलिये मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे स्पष्टीकरण के जवाब में यह उत्तर दिया प्रदेश में 213 लाख टन धान के उत्पादन होने का अनुमान है और ये मात्र 3 लाख टन खरीदना चाहते हैं। शेष 210 लाख टन की खपत कहां होगी। क्या उसे समुद्र में फेंक दिया जायेगा, गंगा में बहाया जायेगा या उसे आग लगायी जायेगी। उस धान को कौन खरीदेगा। क्या चावल मिल मालिक खरीदेंगे। चावल मिल मालिक खरीदेंगे नहीं। प्राइवेट में 900 रुपये में बिकता था वह 600 रुपये में बिकेगा। शेष धान का क्या होगा। इसका जवाब मंत्री जी से दिलवा दें।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, लेवी राइस मिल्स से लिया जायेगा । पूर्वी जनपद में 40 परसेन्ट और शेष प्रदेश में 60 परसेन्ट लेवी में कोई कठिनाई नहीं है । हमारे पास पर्याप्त स्थान है । एफ०सी०आई० से भी बातचीत चल रही है । लेवी का भुगतान पिछले वर्ष भी कर दिया गया था, इस वर्ष भी कर दिया जायेगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लेवी चावल खरीदने के लिये प्रदेश और केन्द्रीय स्तर पर क्या रखा गया है । क्या आप इस बात की घोषणा करेंगे कि कुल चावल लेवी से खरीदा जायेगा ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट किया कि जो चावल लेवी में आयेगा, वह खरीदा जायेगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं आयेगी । जहां तक लक्ष्य की बात है पिछले साल 10 लाख टन का था, उसके सापेक्ष 12 लाख टन खरीदा गया । अबकी बार जो लक्ष्य रखा गया है वह 12 लाख मीट्रिक टन का है । आवश्यकता पड़ने पर उससे अधिक भी खरीदेंगे । इसमें कोई चिन्ता की बात नहीं है । सरकार पूरी तरह से किसानों की हितैषी है । उनके हितों की रक्षा करना हम चाहते हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी है । यह साफ हो गया है कि चावल का खरीदने का लक्ष्य 12 लाख टन रखा गया है । ज्यादा से ज्यादा 18 लाख मीट्रिक टन धान आप चावल के लिये खरीदेंगे । तीन लाख मीट्रिक टन धान खरीदेंगे कुल तो आप 20 लाख मीट्रिक टन खरीदेंगे । शेष 90 हजार मीट्रिक टन जो है उसका क्या होगा ? इसमें से भी थोड़ा ही खपत होगा शेष का क्या होगा । श्रीमन्, मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि क्या लेवी में जितना चावल तैयार होगा, जितनी मिलों से तैयार करायेंगे क्या उस समस्त चावल को 60 और 40 प्रतिशत के हिसाब से क्या यह सरकार खरीदेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर पर्याप्त उत्तर माननीय मंत्री जी की तरफ से आ गया है । जितनी जिज्ञासाएं होंगी कल्पनाएं होंगी उसके उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री धनीराम वर्मा–

मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है । यह सरकार किसान विरोधी है, किसानों का शोषण कर रही है और जो अरबपति पूंजीपति की यह सहायता करती है । सरकार की इस किसान विरोधी नीति से किसान जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं उसको उससे और नीचे गिरा दिया है । आज किसान का शोषण हो रहा है किसान अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पा रहा है, आलू लाइसेन्स उसका बर्बाद हो गया है । गेहूं की कीमत 400 रुपये क्विंटल हो गयी है ऐसी सरकार के किसान विरोधी नीति के रवैये में मैं और मेरा दल इस सदन का बहिष्कार करता है ।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया ।)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आखिर आपने मुझे बोलने का अवसर दे दिया । यह सरकार यूं तो हर मोर्चे पर असफल है । इसका कोई मोर्चा, कोई वायदा सफल नहीं हुआ है, कोई वायदा ऐसा नहीं है जो

इस सरकार ने पूरा किया हो । सबसे बड़ी असफलता किसी मोर्चे पर है तो वह कानून व्यवस्था के मोर्चे पर है । इस सरकार के राज्य में कहा जाता था कि यह रामराज्य लायेगी । रामराज्य लाने की इनकी कल्पना सच तो यह है कि वह पूरी नहीं हुई है और उसके जगह पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है । पूरे प्रदेश की स्थिति यह है कि डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण, चेन स्नैचिंग, रोड हेल्ड अप आदि घटनाओं में वृद्धि हुई है । सबसे बड़ी बात अपहरण उद्योग का दर्जा इस सरकार के कार्यकाल में बहुत बढ़ गया है । इसका मुख्य कारण यह है कि आज अपराधी अपराध करता है तो अपने को सर्वाधिक सुरक्षित पाता है मौजूदा सरकार के मंत्रि-मण्डल के साये में । यही कारण है कि आज अपराधी बेलगाम और बेखौफ घूम रहे हैं । इससे आज सामान्य जन तो डरा हुआ है, सहमा हुआ है । क्या सरकार इस बात का जवाब दे सकती है कि इनकी कानून व्यवस्था कि स्थिति इतनी खराब हो गई है ? गोरखपुर का एस०पी० ट्रांसफर होकर आता है । दिनकर सिन्हा पर दिन दहाड़े गोली चलाई जाती है । जब एस०पी० स्तर के अधिकारी पर गोली चलाने का खौफ नहीं रह गया है तो सामान्य जन के बारे में आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं । आज के अखबार में पढ़कर दुःख हुआ इस सरकार की कार्य प्रणाली पर । कल वाराणसी में एक सब इन्सपेक्टर को गोली ही नहीं मारी गई अपराधी उसकी गोलियों और मोटर साइकिल लेकर बेखौफ चले गये । मान्यवर, जब पुलिस कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं है तो सामान्य जन की हालत क्या होगी । अन्दाजा यह है कि अपराधों की बाढ़ सी आई है । मान्यवर, इन कतरनों को देखिये, रोज अखबार रंगा हुआ है कहीं तीन, कहीं पांच लोग मारे गये । पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है और रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है थाने में जाने पर । तीन दिन के बाद रिपोर्ट लिखी जा रही है । दलितों पर आज बाराबंकी में तेजाब फेंका गया । क्या जलाल रह गया इस सरकार का । क्या अस्तित्व रह गया इस सरकार का । ऐसा लगता है कि अपराधियों ने इस सरकार पर कब्जा कर लिया है । इसका मुख्य कारण यह है कि आपराधिक इतिहास के लोग जिनका आपराधिक जीवन रहा है ऐसे लोग उत्तर प्रदेश के मंत्रि-मंडल में शामिल हैं इसलिये अपराधी इसमें अपने आपको ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वह इससे पहले कभी नहीं रही है । मैं कहना चाहता हूं कि सरकार कोई भी रही हो, कहीं भी रही हो सरकार का एक जलाल होगा । उत्तर प्रदेश में स्थिति यह है कि अपराधी अपने को बेखौफ व बेलगाम महसूस करते हैं । आप अखबार उठाकर देखें इस सरकार के कार्यकाल में दलितों पर अत्याचार का प्रतिशत बढ़ा है, अपहरण का प्रतिशत बढ़ा है । आधे से ज्यादा लोगों का विश्वास इस सरकार पर से उठ गया है । रिपोर्ट लिखी नहीं जाती है क्योंकि अपराधियों के तार कहीं न कहीं सत्ता में बैठे लोगों से जुड़े हुए हैं । हत्यायें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, उधर के सदस्यों ने दलीय अनुशासन के कारण नहीं कहा होगा लेकिन इसका मुख्य कारण है अधिकारियों की पोस्टिंग क्षमता दक्षता के आधार पर नहीं होती है उनका राजनीतिक संरक्षण क्या है इस आधार पर होती है प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं होगी तो प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनने का स्वप्न पूरा नहीं होगा और जब प्रदेश में कानून राज्य नहीं होगा तो यह प्रदेश गरीबी की तरफ बढ़ता जाएगा । जब कानून व्यवस्था प्रदेश में नहीं होगी तो इस सरकार को नैतिक रूप से बने रहने का अधिकार नहीं रह जाएगा । यदि आप अपराधों को रोकना चाहते हैं अपराधियों पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो अपने मंत्रि-मंडल के सदस्यों की तरफ देखें जिनका आपराधिक इतिहास है । एस० पी० जी० की रिपोर्ट देख लें आठ अपराधियों के होने का प्रश्न उठा है उसमें आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं अगर नहीं करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो एक शान्त प्रदेश था जहां शान्ति व्यवस्था थी उस उत्तर प्रदेश में उद्यमी नहीं आएंगे और उत्तर प्रदेश के लोग बाहर जाना शुरू कर देंगे, यह इस पार्टी और दल की बात नहीं है यह पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न है इस लोक महत्व के प्रश्न पर कहना चाहूंगा कि दलीय सिथति से ऊपर उठकर पहल करें कि अपराधियों के साथ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी और अपराधी चाहे जिस स्थान पर बैठे हों उसमें कार्यवाही की जाएगी । आप इस लोक महत्व के विषय पर चर्चा करायें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है, ज्वलन्त तथा तात्कालिक है । उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति व विधि के शासन की स्थिति बद से बदतर हुयी है तथा भयमुक्त समाज बनाने की प्रदेश सरकार की घोषणा खोखली साबित हो रही है । जन-जीवन की सुरक्षा को गम्भीर संकट पैदा हो गया है । 21 अक्टूबर की वाराणसी की घटना का जिक्र माननीय प्रमोद तिवारी जी ने किया है । दुस्साहसिक अपराधियों ने करीब 11 बजे दिन में वाराणसी में पुलिस सब-इन्स्पेक्टर श्री राय की निर्मम हत्या की और उनका सर्विस रिवाल्वर भी लूटकर लेकर चले गये । विगत दिनों प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस अधीक्षक श्री सिन्हा पर प्राणघातक हमला हुआ । चाहे दलितों पर तेजाब फेंकने का मामला हो, यह सारी घटनायें कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति को उजागर करती है । उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने और शान्ति व्यवस्था स्थापित करने की जो घोषणा करती रहती है कार्यान्वित करने वाली जो एकमेव एजेन्सी है वह प्रदेश का पुलिस महकमा ही आज सुरक्षित नहीं है । 23 जुलाई, 2000 को उत्तर प्रदेश में बच्चीलाल जो परिवार कल्याण के निदेशक थे उनकी हत्या दिन दहाड़े प्रदेश की राजधानी में हो गई । 15 अगस्त, 2000 को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सहकारिता भवन में भयंकर बम विस्फोट हुआ जो कानून व्यवस्था के लिये खुली चुनौती है । मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि लखनऊ में वी० आई० पी० लोगों की कालोनी रिजर्व बैंक कालोनी है, वहां 6 सितम्बर, 2000 को चाइल्ड स्पेशलिस्ट डा० बी० एन० कपूर की निर्मम हत्या कर दी गई । पर्यटन प्रबन्धक और उनकी पत्नी की हत्या दिन दहाड़े कर दी गई । 18 तारीख को लोक निर्माण विभाग के राजेश अग्रवाल की हत्या की गई, 28 जून को नाका क्षेत्र के रेलवे के बड़े ठेकेदार गुड्डू दीक्षित की हत्या की गई । .....

(इस समय 5 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह 'डंग' पीठासीन हुए ।)

श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं आंकड़े पढ़ना चाहता हूं । एक जनवरी दो हजार से तीन जून दो हजार के बीच 184 दलितों की हत्यायें हुई, 169 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुए जबकि पिछले वर्ष इन्हीं 6 महीनों में 146 दलितों की हत्या हुई । इसी वर्ष इन 6 महीनों के दौरान दलित उत्पीड़न की 3296 घटनायें हुई हैं । यह हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को उजागर करती हैं । मान्यवर, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपसे तत्काल चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ।

श्री जोखू लाल यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रदेश की कानून व्यवस्था और विशेष कर इलाहाबाद के सहसू चौराहे पर जो लाठी चार्ज हुआ, इसकी सूचना मैंने आपको दी है, पर बोलने का अवसर दिया । वैसे तो प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है । सारे अधिकारी बेलगाम हो गये हैं । आये दिन हत्यायें, बलात्कार, लूटपाट, मची हुई है । जब छात्र फीस वृद्धि के मामले को लेकर आन्दोलन करता है और किसान गन्ने का मूल्य मांगता है तो उस पर गोलियां चलायी जाती हैं । 2000 रुपये वसूलने के चक्कर में लल्लन बिन्द की हत्या कर दी जाती है । यह सरकार किसान विरोधी है एवं छात्र विरोधी है । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं सरायइनायत थाने के अन्तर्गत सहसों चौराहे, इलाहाबाद में 21 सितम्बर को एक घटना हुई । श्री शिव बाबू केसरवानी के 10 वर्षीय बच्चे की प्राइवेट वाहन से दबकर मृत्यु हो जाती है । उसके घर वाले घटना स्थल पर पहुंचते हैं और दुखी एवं क्षुब्ध होकर उस लाश के पास बैठकर रो रहे थे तथा और भी लोग वहां पर एकत्रित हुए । इतने में सरायइनायत थाने की पुलिस वहां पर आती है और उस पिता से जबरन लाश छीन कर ले जाना चाहती थी .....

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, यह ग्राह्यता पर बोल रहे हैं या कहानी कही जा रही है।

श्री अधिष्ठाता–

आप ग्राह्यता पर बोलें। मैंने आपको चर्चा करने की अनुमति नहीं दी है।

श्री जोखू लाल यादव–

मान्यवर, हमने जो नोटिस दी है उसी पर बोल रहे हैं। सरकार में इतनी हिम्मत होनी चाहिये कि वह सुन सके।

श्री अधिष्ठाता–

आप ग्राह्यता पर बोलें।

श्री जोखू लाल यादव–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस के लोग लाश को जबरन उनके मां बाप के हाथ से छीन कर उठा ले गये। जब खबर आस-पास के गांव में गयी तो लोग इकट्ठा हो गये और धरने पर बैठ गये और जब तक लाश नहीं दी जायेगी धरने पर से नहीं हटेंगे यह मांग करने लगे। यह भी कहने लगे कि पुलिस ने जबरन जो लाश को उठाने का काम किया है जब तक जिले के उच्चाधिकारी नहीं आ जाते हैं हम लोग नहीं उठेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा, आप ग्राह्यता पर सीमित रखें। लगभग 8-10 वक्ता और हैं। ग्राह्यता के अलावा और कुछ नोट नहीं होगा।

श्री जोखू लाल यादव–

मान्यवर, हम घटना के प्रत्यक्ष गवाह हैं स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद भी मौके पर थे। मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं।

मान्यवर, जब यह घटना घटी स्थानीय लोगों पर लाठी चार्ज हुआ मान्यवर, संयोगवश मैं भी अपने विधान सभा क्षेत्र में एक विद्यालय के उद्घाटन समारोह में गया हुआ था, स्थानीय सांसद भी पहुच गये। वहां की पुलिस वहां की जनता को इतनी बेरहमी से पीट रही थी कि जब उनसे जानकारी की गयी कि लाठीचार्ज क्यों हो रहा है, जो भी अधिकारी थे उच्च, सब इधर उधर भागदौड़ में लगे हुए थे। वहां की पुलिस ने केसरवानी जिनका लड़का दबकर मरा था की निर्मम पिटाई की। सी० ओ० करछना ने अमर्यादित भाषा में बात की स्थानीय सांसद के उपर लाठी तानी। आज जो वहां वातावरण बना हुआ है वहां की जनता आक्रोशित है। लोग क्षुब्ध हैं दुःखी हैं यह लोक महत्व का प्रश्न है मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय और उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री सुधाकर सिंह, श्री महेन्द्र सिंह, श्री बी० आर० वर्मा के नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, कानून और व्यवस्था की स्थिति के संदर्भ में मैं फिरोजाबाद की घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं। फिरोजाबाद में 1 थाना फिरोजाबाद उत्तर के अन्तर्गत सरेआम दो लड़कियों का अपहरण हुआ, बलात्कार की घटना हुई अभियुक्तों की गिरफ्तारी में विलम्ब हुआ। आगरा के जैनपुर थाना

डोकी में दो लड़कों का अपहरण हुआ, अभी तक पता नहीं लगा है । थाना मटसैना के ग्राम अकलपुर दामोदरपुर से 21 युवकों का अपहरण हुआ है अभी फिरोजाबाद प्रशासन पता नहीं लगा सका है, गम्भीर चिन्ता का कारण है । इसी तरह से गांव सोफीपुर, थाना बसई मोहम्मपुर में एक किसान के अपहरण की घटना घटी, कोई पता नहीं लगा । मान्यवर, कानून व्यवस्था की स्थिति वहां इतनी खराब हो गयी है कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया है । आगरा के जैनगर की घटना में मुलजिमों की अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई । आज मान्यवर, अपहरण की घटनायें जिस तरह से तेजी से बढ़ रही हैं अपहरण के बाद में जिस प्रकार से पुलिस कार्यवाही होती है वह चिन्ता की बात है । गुमशुदी में रिपोर्ट लिखकर सारे मामले को दबाने का काम किया जाता है । अपहरण को गुमशुदी में लिखने के बाद 10-10 दिन बाद जब मुकदमा लिखा जायेगा, यह चिन्ता का कारण है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनकी शासन पर कोई पकड़ नहीं है । सारे थाने अनियंत्रित हो रहे हैं रिपोर्ट लिखने में ऐसी बंदिश लगा दी है कि उसमें महीनों लग रहे हैं पहले दरख्वास्त ले लेते हैं फिर उसकी जांच करते हैं और जांच में महीनों लग जाते हैं जब जाकर रिपोर्ट लिखी जाती है । यह व्यवस्था गलत है और इसे तत्काल रोका जाना चाहिये । अभी नारखी थाने में 2 युवतियों के साथ बलात्कार हुआ 2 हफ्ते एस०एस०पी० के यहां कवायद होती रही तब जाकर रिपोर्ट लिखी गयी इस घटना के बाद शासन का दायित्व बनता है कि वह कार्रवाई करे । लेकिन प्रशासन निकम्मा हो रहा है और प्रशासन के निकम्मेपन के कारण अपराधी भयमुक्त हो गये हैं और जनता भययुक्त होती जा रही है एक तरफ तो यह घटनाएं हो रही है और दूसरी तरफ थानों में पुलिस जिस आदमी को पकड़ ले जाती है उसकी सुरक्षा की गारन्टी होनी चाहिये लेकिन आज थाने में उनकी मौतें हो जाती हैं । श्रीमन्, हमारे यहां दो लड़के एक गांव नब्बे बीघा के मोपेड से आ रहे थे तो थाना बसई मोहम्मद की पुलिस ने उनको पकड़ लिया और उसमें एक हरिओम को पकड़कर उससे 260 रुपया और उसके भाई से 200 रुपये छीन लिये और हरिओम के भाई को तो 600 रुपये लेकर पुलिस ने छोड़ दिया लेकिन हरिओम को मारापीटा और वह 12 दिन से अस्पताल में पड़ा हुआ है उसके पेशाब से खून आ रहा है । इस मामले में पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिये लेकिन यह नहीं हुआ । ऐसे ही कामों से सरकार की बदनामी हो रही है । मैं चहाता हूं कि जो औचित्य का प्रश्न मैंने रखा है उस पर चर्चा हो और निर्दोष व्यक्ति का उत्पीड़न करने वाले उनसे मारपीट करने वाले पुलिसजन पर कार्रवाई हो, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाय । इस पर चर्चा कराई जाय और गिरती हुई कानून व्यवस्था पर सरकार ध्यान दे ।

श्री सीताराम निषाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, फैजाबाद जिले में गिरती हुई कानून व्यवस्था की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि तारुन थाने के ग्राम तारुन की बनवासी बस्ती में सब इंस्पेक्टर और 5 सिपाही झिनकान बनवासी के दरवाजे पर गये, उसके घर पर तलाशी करने के लिये घुसने लगे, एक छोटी सी कोठरी है वनवासी की उसकी पत्नी को 6 दिन पहले बच्चा हुआ था । मान्यवर, कच्ची दीवाल है उस पर छप्पर छाया हुआ था दरोगा व सिपाही उसमें वह घुसने लगे तो झिनकान ने मना किया तो सब इंसपेक्टर ने झिनकान को मारा और दो सिपाहियों को कोठरी में घुसा दिया घर में, उसकी पत्नी जो 6 दिन का बच्चा लेकर सौरी में बैठी थी उसको घसीटकर बाहर कर दिया । उन सिपाहियों ने तलाशी ली तो कुछ नहीं मिला तो उस बच्चे को बूट से रौंद कर कुचल दिया जिससे वह बच्चा रात भर कराहता चिल्लाता रहा और बाद में सवेरे मर गया लेकिन पुलिस के डर से रिपोर्ट नहीं लिखी गयी । झिनकान और उसकी पत्नी ने डी० एम० और एस० एस० पी० को दरख्वास्त दिया कि थानेदार व सिपाहियों ने बच्चे की हत्या की है । यह 24 तारीख की घटना है लेकिन आज तक मुकदमा नहीं लिखा गया है । पुलिस उनको धमका रही है वनवासी बस्ती के गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है । इस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों में भय और आतंक पैदा हो गया है । ऐसी स्थिति में यह बड़ा गम्भीर मामला है । इसके एक